

Ref. No.: LIC/SE/2025-26/52

Date: July 30, 2025

To

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai— 400001

Scrip Code: BSE – 543526

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051

Scrip Code: NSE - LICI

Dear Sir/Madam,

Subject: Business Responsibility and Sustainability Report for the Financial Year 2024-25

Pursuant to Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that the Business Responsibility and Sustainability Report for FY 2024-25 is enclosed herewith. The same also forms part of the Annual Report for FY 2024-25.

Please take the above information on record and arrange for dissemination. A copy of this intimation is also being made available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

(Anshul Kumar Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण:

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण:

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)–
 - लागू नहीं
 - आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या - 512
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम–
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम - 1956 के तहत गठित)
3. निगमन का वर्ष–
 - 1956
4. पंजीकृत कार्यालय का पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
5. कॉर्पोरेट पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
6. ई-मेल
 - निगमित नियोजन: ed_rns@licindia.com
7. दूरभाष
 - 022-22022615
8. वेबसाइट
 - www.licindia.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है
 - वित्तीय वर्ष 2024-25
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
 - एनएसई(नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड
11. चुकता पूंजी:
 - ₹ 6324.99 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक ₹ 10 के कुल 6,32,49,97,701 शेयर हैं।
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) –
 - सुश्री रोसलिन कुरियन/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com
13. रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)।
 - इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
14. आश्वासन प्रदाता का नाम: चोकशी और चोकसी एलएलपी
15. प्राप्त आश्वासन का प्रकार:
 - व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के लिए आश्वासन। आश्वासन प्रदाता द्वारा जारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक '1' के रूप में संलग्न है।

II. उत्पाद/सेवाएं

16 व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1.	बीमा सेवाएं पेंशन और स्वास्थ्य (सहित)	जीवन बीमा	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
1.	जीवन बीमा	65110	100%

III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या संस्था के संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	5,004	5,004
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	*नीचे विवरण देखें	125

* कुल कार्यालयों की संख्या (अंतराष्ट्रीय):

क्र. स.	इकाई	कॉर्पोरेट	शाखा कार्यालय
1	एलआईसी फ़िजी		1
2	एलआईसी मॉरीशस		1
3	एलआईसी यू.के.		1
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन*	1	5
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	1	76
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	1	25
7	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	1	11
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	1	0
		5	120
कुल :			125
गिफ्ट सिटी शाखा का संचालन वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होगा			

*एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन कंपनी जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में काम करती है;

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	36 (भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	11

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की एक विस्तृत विविधता को पूरा करते हैं। जनसांख्यिकी, जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर, ग्राहकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- नियमित आय वाले व्यक्ति जीवन कवर, कर लाभ, बचत आदि की तलाश में हैं और जो एंडोमेंट, मनी बैक और टर्म प्लान पसंद करते हैं

- ii) स्व-नियोजित व्यवसाय के मालिक जो जोखिम कवर के साथ धन सृजन में रुचि रखते हैं, यूलिप और पेंशन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के साथ लचीले प्रीमियम विकल्पों की तलाश करते हैं।
- iii) नाबालिग, छात्र और युवा पेशेवर: वे ज्यादातर टर्म या सरल एंडोमेंट प्लान द्वारा कवर किए जाते हैं और कम प्रीमियम की तलाश करते हैं
- iv) वरिष्ठ नागरिक: वे पेंशन योजनाओं की ओर देखते हैं और गारंटीकृत आय और दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं
- v) समूह ग्राहक: उनमें कॉर्पोरेट ग्राहक, सरकारी संगठन, संघ, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट आदि मांगी जाने वाली योजनाओं के प्रकार हैं।
- vi) एनआरआई ग्राहक: वे भारत में पारिवारिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेते हैं, दीर्घकालिक बचत या टर्म प्लान पसंद करते हैं और हमें एक सुरक्षित और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में देखते हैं।
- vii) ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के ग्राहक: हमने पीएमजेजेबीवाई आदि जैसे सरकारी जनादेश के तहत उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कम आय वाले समूहों के लिए किफायती बीमा दिया जाता है और किसानों, मजदूरों आदि के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।
- viii) उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति: वे एक अलग समूह हैं और बड़े कवरेज के साथ यूलिप, धन योजना या पेंशन योजनाओं जैसे निवेश उन्मुख योजनाओं की तलाश करते हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

कर्मचारियों					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (घ)	91606	69740	76.13	21866	23.87
स्थायी के अलावा अन्य (च)	14	13	92.85	1	7.15
कुल कर्मचारी (घ + च)	91620	69753	76.13	21867	23.87
श्रमिक					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (छ)	लागू नहीं				
स्थायी (च) के अलावा अन्य					
कुल कर्मचारी (छ + च)					

ख. दिव्यांगजन कर्मचारी और कर्मी

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिलाएं	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
1.	स्थायी (ऊ)	884	715	80.88	169	19.12
2.	स्थायी (ए) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
3.	कुल अलग-अलग विकलांग कर्मचारी (ऊ + ए)	884	715	80.88	169	19.12
दिव्यांगजन कर्मचारी						
4.	स्थायी (छ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी (ज) के अलावा					
6.	कुल विकलांग कर्मचारी (छ + ज)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	संख्या व महिलाओं का प्रतिशत	
		संख्या(ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	14	1	7.14
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)*	13	1	7.69

* केएमपी में पांच पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर: (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	स्थायी कर्मचारियों के लिए टर्नओवर दर								
	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50

नोट :

अ. निगम में कर्मचारियों का कोई वर्ग श्रमिक नहीं कहा जाता है।

आ. टर्नओवर दरों में सुपर एनुएशन नंबर भी शामिल हैं।

V. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम का नाम कॉलम 'ए'	इंगित करें कि होल्डिंग/ सहायक/एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम - में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
अंतरराष्ट्रीय				
1	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
2	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी)	सहायक	99.66%	नहीं
3	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	55%	नहीं
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	93.75%	नहीं
5	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	83.33%	नहीं
राष्ट्रीय				
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
2	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
3	आईडीबीआई बैंक लि.	सहयोगी	49.24	नहीं
4	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	49.00	नहीं
5	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	45.24	नहीं
6	एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	44.61	नहीं
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	29.84	नहीं
8	एलआईसी एचएफएल एएमसी लिमिटेड	सहयोगी	5.38	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

➤ नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर लागू नहीं।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, जिसे भारत में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, एलआईसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी नहीं है। एलआईसी अधिनियम, 1956 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद भी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है।

तथापि, एलआईसी स्वेच्छा से विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाप कर रही है। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एलआईसी के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्ष 2006 में गठित किया गया था। प्रतिष्ठान का उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और आम जनता उपयोगिता की किसी अन्य परियोजना की उन्नति है।

(ii) टर्नओवर (₹ में) - 488848.92 करोड़

(iii) नेट वर्थ (₹ में) - 126187.74 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एन जी आर बी सी) के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2024-25			वित्त-वर्ष 2023-24		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां, कॉर्पोरेशन ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शेयरधारक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और प्रश्नों को हल करने में सहायता के लिए निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निगम के पास एक निर्दिष्ट ई-मेल आईडी (investors@licindia.com) है और शेयरधारकों के लिए एक पोर्टल भी है ताकि वे शिकायतें दर्ज कर सकें। निवेशक सहायता के लिए लिंक: https://licindia.in/investors-support	1671	1	31.3.25 को लंबित एकमात्र प्रश्न 01.04.25 को हल किया गया था	2278	24	वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में लंबित 24 शिकायतों का समाधान 02.04.2025 तक कर दिया गया।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2024-25			वित्त-वर्ष 2023-24		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
कर्मचारियों	हां, निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है। इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर ई-समाधान नामक एक पोर्टल जहां शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है जिसे कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है।	369	12	शून्य	518	29	वित्त वर्ष 2024-25 में सभी 29 का समाधान कर दिया गया
ग्राहकों	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	74,290	शून्य		81,202	शून्य	
समुदायों	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मूल्य श्रृंखला साझीदार	हां, मूल्य श्रृंखला भागीदार अपनी शिकायत, यदि कोई हो, निकटतम कार्यालय में तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं।	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य-मंत्रालय	ईमेल के माध्यम से मंत्रालय का अनुपालन	168	1	अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया में है	102	2	वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों को हल किया गया

26. संस्थाके महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	नियामक और अनुपालन वातावरण	जोखिम और अवसर	विनियामक अनुपालन एलआईसी की कार्य नीति का एक अभिन्न अंग है। किसी भी लागू कानून का समय पर पालन न करने पर संभावित कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा को नुकसान या यहां तक कि	एलआईसी के पास विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जो विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करती है।	पहचाने गए जोखिमों को संबोधित न करने के वित्तीय निहितार्थों में ग्राहक शिकायतों का समाधान करते समय विनियामकों या अन्य कानूनी मंचों से उत्पन्न दंड शामिल हो सकते हैं।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
			वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। एलआईसी, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। निर्धारित मानकों को अपनाकर हम मानते हैं कि हम अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी हितधारकों को प्रभावित करने वाले हमारे सभी नियम और विनियम कानूनी और विनियामक ढांचे के भीतर हों। एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में, हम आरटीआई दिशानिर्देशों से भी बंधे हैं जो जांच की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करते हैं।		नकारात्मक ग्राहक भावनाओं के कारण नए व्यवसाय के मोर्चे पर भी नुकसान हो सकता है। विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है, जिससे हमारी ग्राहक निष्ठा बढ़ेगी और बदले में हमारे ग्राहकों की निरंतरता और नए ग्राहकों की आमद बढ़ सकती है।
2	मानव पूंजी विकास	जोखिम और अवसर	अवसर: ज्ञान उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, हमारी मानव पूंजी ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का एक प्रमुख स्रोत है। निरंतर अप-स्किलिंग हमें अपनी नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करने और उद्योग के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। जोखिम: वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और तेजी से बदलती विपणन स्थितियों में, प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखना एक चुनौती है।	एलआईसी लगभग एक लाख कर्मचारियों के साथ एक विशाल ट्रांस-नेशनल संगठन है। आकार और भौगोलिक प्रसार के साथ-साथ कर्मियों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निरंतर ऊर्ध्वाधर और पार्श्व आंदोलन होता है। इन सभी कारकों के लिए आवश्यक है कि संगठन के भीतर कौशल विकास और ज्ञान आधार को बढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्व-शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।	उच्च कर्मचारी टर्नओवर से उत्पादकता में कमी, काम पर रखने की लागत में वृद्धि और सामान्य रूप से कम कर्मचारी मनोबल के साथ-साथ दक्षता में कमी हो सकती है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
				इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और हमारे इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है। वर्तमान फोकस नए कार्य अनुभव के हिस्से के रूप में संचार और सहयोग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा, स्व-शिक्षण/स्व-कौशल के उद्देश्य से, कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, 'एलआईसी ज्ञानपीठ' शुरू की गई थी।	
3	जलवायु परिवर्तन - जोखिम और लचीलापन	जोखिम	- जलवायु परिवर्तन का सामान्य रूप से जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जीवन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है और अब देखी जा रही परिवर्तन की कठोर गति से अभ्यस्त नहीं है। इससे प्राकृतिक आपदाओं, वायरस और बैक्टीरिया आदि के रूप में नए जोखिमों का विकास हो सकता है जो रुग्णता के साथ-साथ मृत्यु दर को भी प्रभावित करेगा। - बीमा उद्योग मृत्यु दर और रुग्णता की धारणाओं में भिन्नता की उम्मीद कर सकता है, जिसमें किसी भी नकारात्मक भिन्नता के परिणामस्वरूप उच्च दावा आउटगो के संदर्भ में परिणाम हो सकते हैं।	उसी का दृष्टिकोण आने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने के तरीकों और साधनों को ढूंढना और संगठन के लिए अपने व्यवसाय और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना है। जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में, हम लगातार दुर्लभ संसाधनों की खपत को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस तरह कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आबादी को संसाधनों का वितरण करते हैं।	- इस तरह के परिवर्तनों की उच्च आवृत्ति और गंभीरता से दावों के साथ-साथ जनशक्ति के प्रति भी खर्च में वृद्धि होगी। - बीमाकर्ताओं को मृत्यु दर, रुग्णता आदि को नियंत्रित करने वाली अपनी तालिकाओं को बदलने और बदलते परिदृश्य को पूरा करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। - जीवन बीमा कंपनियों के लिए पुनर्बीमा लागत बढ़ सकती है। - ऐसे जोखिमों के संपर्क में आने वाले उद्योगों में निवेश से उसी के वित्तीय प्रभाव से बचने के लिए रणनीति में बदलाव होगा।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
4	सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित	जोखिम	हमारे पास व्यक्तिगत जानकारी तक परिणामी पहुंच के साथ जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या सबसे अधिक है। डिजिटल पहुंच और एकत्रित जानकारी के साथ एक विशाल दर से बढ़ रहा है, सूचना रिसाव का खतरा समवर्ती रूप से बढ़ जाता है। साइबर सुरक्षा को डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और स्थायी व्यावसायिक अभ्यास को सक्षम करने की आवश्यकता है। डेटा सुरक्षा के लिए हमारे पास एक मजबूत नीति है। हमारे पास किसी भी रिसाव की निगरानी और डेटा सुरक्षा बनाए रखने के लिए इनबिल्ट टीमें और प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार डेटा उल्लंघनों की निगरानी वेबसाइट, उपकरणों और अन्य डोमेन के लिए निरंतर और वास्तविक समय के आधार पर की जाती है।	हम मानते हैं कि डेटा सुरक्षा सर्वोपरि है और ग्राहक गोपनीयता पवित्र है। डेटा हानि, उल्लंघन या बेहिसाब पहुंच का कोई भी उदाहरण ग्राहक के विश्वास को प्रभावित कर सकता है जिससे ग्राहक का संघर्षण हो सकता है और इस प्रकार वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित होता है। उसी से निकलने वाले परिणामी नकारात्मक प्रचार कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसे पूरे समय संरक्षित करने की आवश्यकता है।	वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान हानिकारक हो सकता है और इसे रोकने की आवश्यकता है।
5	जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता	जोखिम	हमारे पास विभिन्न परिदृश्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत व्यवसाय निरंतरता योजना है। यह किसी भी अप्रत्याशित घटना या चुनौतियों के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए है। इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करना, कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करना और साथ ही पुनर्प्राप्ति समय को कम करना है।	निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है, जिसमें सभी विभागों से उनकी संबंधित कार्य योजनाओं के बारे में इनपुट शामिल हैं। जोखिम रजिस्टर बनाए रखे जाते हैं और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है ताकि मजबूत जोखिम प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके।	नकारात्मक

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
				किसी भी बड़ी या छोटी घटना के मामले में, संभावित या वास्तविक प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई प्रक्रियाएं परिभाषित की जाती हैं। व्यवसाय निरंतरता योजना के लिए ISO 22301 प्रमाणन प्राप्त हुआ है	

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी इकाई की पॉलिसी/पॉलिसी प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व कवर करती हैं (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ना	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . निगम की कुछ पॉलिसियां केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं एवं निगम की इंटरनेट साइट पर उपलब्ध हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)	हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदार सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण, बाल श्रम और जबरन श्रम के निषेध, गैर-भेदभाव, रोजगार की स्थिति, मजदूरी के प्रावधान और काम के घंटों से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अनुबंधात्मक रूप से बाध्य हैं।								
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	सिद्धांत 4 के तहत, एलआईसी ने प्राप्त किया है:ईआरएम के लिए आईएसओ 31000 बीसीपी के लिए आईएसओ 22301								
5. विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ सेट, यदि कोई हो	अ. हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आ. हम जल संरक्षण, ऊर्जा उपयोग को कम करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट के साथ-साथ जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।								

	इ. हम एक समान अवसर नियोक्ता हैं जो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित नहीं करते हैं। ई. देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें उचित लागत पर मृत्यु के खिलाफ पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जीवन बीमा का प्रसार करना। उ. बीमा से जुड़ी बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर बचत को अधिकतम करना। ऊ. धन के निवेश में, अपने पॉलिसीधारकों के लिए प्राथमिक दायित्व, जिसका पैसा विश्वास में रखता है, समग्र रूप से समुदाय के हित की दृष्टि खोए बिना; राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों तथा समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा। ऋ. अत्यंत मितव्ययिता के साथ और पूर्ण अहसास के साथ व्यापार का संचालन करें कि पैसा पॉलिसीधारकों का है। ए. अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं में बीमित जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। ऐ. बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उत्पन्न होने वाली समुदाय की विभिन्न जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करें। ओ. शिष्टाचार के साथ कुशल सेवा प्रदान करके बीमित जनता के हितों को आगे बढ़ाने में निगम में काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता में शामिल करना। औ. निगम के सभी एजेंटों और कर्मचारियों के बीच कॉर्पोरेट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से भागीदारी, गर्व और नौकरी की संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना।
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन, साथ ही कारणों के साथ-साथ यदि वे पूरे नहीं होते हैं।	अ. हमने क्रमशः 24,420 करोड़ और 2.37 लाख करोड़ के व्यय के साथ 8,48,123 मृत्यु दावों और 2,16,69,980 परिपक्वता दावों का निपटान किया है, इस प्रकार आश्रित परिवारों, लेनदारों, भागीदारों और प्रमुख पुरुषों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। आ. हम 31.03.2025 तक पीएमजेबीवाई के तहत 3,13,80,682 जीवन कवर किया हैं और समाज के कमजोर वर्गों को पूरा करने के लिए अन्य सूक्ष्म बीमा उत्पादों को डिजाइन करते हैं। इ. वंशानुगत कमीशन का भुगतान 40,000 से अधिक एजेंटों के आश्रितों को किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं और नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र थे। ई. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवर को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 31.03.2025 तक 1,48,888 महिलाओं को बीमा सखियों के रूप में नियुक्त किया है। उ. हमारा नया जयपुर कार्यालय IGBC और कुशल प्रकाश व्यवस्था (LED), HVAC, डेलाइट ऑप्टिमाइज़ेशन और कम उत्सर्जन सामग्री के साथ LEED- प्रमाणित भवन है।

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के बारे में बोर्ड की समग्र जिम्मेदारी है और निगम के ईएसजी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करना है
8. के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति	श्री सिद्धार्थ मोहंती सीईओ & एमडी डिन:08058830 (दिनांक 31.03.2025 को)
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।)	हाँ। बोर्ड ने एक ईएसजी समिति का गठन किया है और बाहरी विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया है। बोर्ड के पास निगम के प्रशासन और स्थिरता प्रथाओं की समग्र जिम्मेदारी है। बोर्ड ने अपने ईएसजी मिशन के अक्षर और भावना दोनों का प्रयोग करते हुए एक मजबूत सुसंगत तंत्र स्थापित करने के लिए बाहरी मार्गदर्शन लाया है। डेलोइट द्वारा एक शोध रिपोर्ट तैयार की गई। निरंतर सुधार के लिए आने वाले वर्ष के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने एक आंतरिक ईएसजी समिति का भी गठन किया है। समिति ईएसजी लक्ष्यों, लक्ष्यों, रणनीति को मंजूरी देती है और पुष्टि करती है, हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी पहलों सहित प्रदर्शन की निगरानी करती है और समय-समय पर निगम की ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है।
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण	
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड / बोर्ड की समिति / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने उन नीतियों को अनुमोदित किया है जो ऊपर बताई गई हैं जैसा कि वर्तमान नियमों द्वारा आवश्यक है।
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	अंतर-विभागीय रूप से की गई समीक्षा
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	अर्धवार्षिक
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	कंपनी सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है।
11. क्या इकाई ने बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	निगम की सभी नीतियों का आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात् सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	नहीं	-	-
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हां/नहीं) पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-

सवाल	सि. 1	सि. 2	सि. 3	सि. 4	सि. 5	सि. 6	सि. 7	सि. 8	सि. 9
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में, एलआईसी एक उच्च विनियमित वातावरण में काम करती है। इसके अलावा, निगम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। निगम नियमित रूप से उक्त नियामक प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न मंचों और समितियों में भी भाग लेता है। हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई विशेष नीति नहीं बताई गई है, लेकिन स्टाफ रेगुलेशन, 1960 उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और निदेशकों को नियंत्रित करता है, जिन्हें उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। निगम, व्यापार निकायों और संघों के माध्यम से, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बीमा क्षेत्र के संबंध में कई सुझाव देता है।

खंड सी: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण:

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई सूचना को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल	*3	ईएसजी लीडरशिप प्रोग्राम@आईआईसीए में निदेशकों का प्रमाणन	57.14%
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	8	1) नामांकित निदेशकों के लिए मास्टरक्लास 2) प्रभावी बोर्डों और भविष्य के लिए तैयार पर शासन नेतृत्व कार्यक्रम निर्देशकों 3) 41वीं भारत फैलोशिप संगोष्ठी 4) IFRS-17 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 5) एक्चुअरीज का 24 वां वैश्विक सम्मेलन 6) बिजनेस क्लास ऑफ एक्सीलेंस (विदेशी प्रशिक्षण) 7) कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 8) प्रधान अधिकारियों के लिए एएमएल/सीएफटी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	42.85%

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय के अलावा अन्य कर्मचारी	4076	कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए व्यापक विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जैसे: सार्वजनिक खरीद, आरटीआई अधिनियम, जीईएम, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, निवारक सतर्कता और फॉरेंसिक, नैतिकता और शासन, बीसीपी, उद्यम जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना, विकास और मानसिकता प्रबंधन, रणनीतिक नेतृत्व, ग्राहक सेवा संवेदीकरण, आईआरडीएआई विनियम, नियामक अनुपालन प्रबंधन, केवाईसी/एएमएल/सीएफटी, आरक्षण और कल्याण मामले, पॉश, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ईएसजी, जीएसटी में मुकदमेबाजी प्रबंधन, सेवानिवृत्त अधिकारी, एनएसई के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आईएफआरएस -17, एलआईसी अधिनियम, एलआईसी उत्पाद, सोशल मीडिया, व्यापार शिष्टाचार, टेलीफोन और ईमेल शिष्टाचार।	83.75%

*दो कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया तथा एक कार्यक्रम में सभी प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यकलाप आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों और बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए जाते हैं।

इन-हाउस प्रशिक्षण:

एलआईसी के पास अच्छी तरह से सुसज्जित इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क है। सभी केंद्र छात्रावास आवास, कक्षाओं, सभागारों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, एलसीडी सुविधाओं, मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एलआईसी के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हैं:

- प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी): निगम का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान।
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी): एलआईसी के आठ क्षेत्रों में से प्रत्येक में स्थित एक।
- कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) / कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी): 113. प्रत्येक डिवीजन में एक

बाहरी प्रशिक्षण:

अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करने, विशेष उद्योग ज्ञान प्राप्त करने और वैश्विक मानव संसाधन प्रथाओं के साथ सरेखित करने के लिए, एलआईसी अपने अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेने के लिए नामित करता है। ये राष्ट्रीय बीमा अकादमी एनआईए (पुणे), भारतीय प्रबंधन संस्थान - आईआईएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस - आईएसबी (हैदराबाद), निदेशक संस्थान - आईओडी (मुंबई), इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट - आईआरएम (मुंबई), इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया - आईएआई (मुंबई), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया - एएससीआई (हैदराबाद), नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी - एनएलएसआईयू (बेंगलुरु) जैसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस - सीओआई (मुंबई), नेशनल एकेडमी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट - एनएचआरडी (नई दिल्ली), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स - आईआईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट - आईएसटीएम (नई दिल्ली), लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी, एफआईएमएमडीए (मुंबई और कई अन्य।

एमडीसी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इन-हाउस आयोजित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 1,15,911 है। एनआईए सहित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 6,406 थी। इस प्रकार 1,22,317 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से कुछ ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर और भूमिकाओं के परिवर्तन पर कई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, फायर ड्रिल के लिए कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या 65,794 थी और 10,921 कर्मचारियों को अन्य मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार 91,606 कर्मचारियों में से कुल 76,715 कर्मचारी शामिल थे।

लघु अवधि के वेबिनार:

बड़ी संख्या में कर्मचारियों और फील्ड फोर्स को कवर करने के लिए, बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों और हमारे इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अल्पकालिक वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इन वेबिनार में पॉश, विकलांग व्यक्तियों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने, नए उत्पाद, एनबी अंडरराइटिंग, सीआरएम शिकायत निवारण, ग्रोथ ओरिएंटेड इंसेंटिव बोनस (जीओआईबी) योजना, एलआईसी प्रोफाइल, आनंदा, यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान, डिजिटल पहल, कर्मचारी लाभ, नई योजनाएं और परिवर्तन, मिलियन डॉलर राउंड टेबल (एमडीआरटी) के लिए रोड मैप सहित कई विषयों को शामिल किया गया। व्यापार दृढ़ता और पुनरुद्धार, दावा पुनर्निवेश, आदि।

एलआईसी ज्ञानपीठ-सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल:

- एलआईसी ज्ञानपीठ एक सेल्फ-लर्निंग और सेल्फ-स्किलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह मानकीकृत सामग्री प्रदान करता है जो भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे इंटरनेट/इंटरनेट वेब ब्राउज़र के माध्यम से कर्मचारियों को कभी भी, कहीं भी प्रशिक्षण सुलभ हो जाता है।
- एलआईसी ज्ञानपीठ, विशेष रूप से विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक, पोर्टल में 17 मुख्य मॉड्यूल, 6,616 MCQ के साथ 142 उप-मॉड्यूल शामिल हैं।
- 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से भारी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें लगभग 77,233 (85.79%) कर्मचारियों ने कुल 20,43,124 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाणपत्र अर्जित किए हैं।
- ज्ञानपीठ मॉड्यूल के तहत जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या 2,38,165 थी और जिन उप मॉड्यूलों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उनकी संख्या 18,04,959 थी, इस प्रकार कुल मिलाकर कुल 20,43,124 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग फीस/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

(नोट: इकाई सेबी के विनियमन 30 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण दायित्वों) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी:

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	जीएसटी	0.03 करोड़	व्यावसायिक कर, आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी पर सरकार/न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया	नहीं
निपटारा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

नोट: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम को जीएसटी अधिकारियों से 35 आदेश प्राप्त हुए हैं, 19 आदेशों के विरुद्ध जीएसटी अपील की प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है। 11 अपीलों का दाखिल होना, 2 आदेशों का भुगतान और आदेश में सुधार के लिए 3 आवेदन दाखिल करना प्रक्रियाधीन है। सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 30 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जीएसटी आदेशों का विवरण दाखिल किया गया है।

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है ? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।
हो, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम की रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है। इसमें व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) नियमावली, 1960 के नियम 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को मामूली मूल्य से अधिक के उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। रिश्त विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. उन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्त/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निर्देशकों	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारियों	1	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निर्देशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/शास्तियों/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई नहीं (शून्य)

एकमात्र पंजीकृत मामले में कार्यवाही चल रही है।

8. देय खातों के दिन: (देय खाते *365)/खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत):

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या	12.12	11.85

9. व्यापार का खुलापन:

निम्नलिखित प्रारूप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

द्वितीयक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं जो निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए मंच प्रदान करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केवल दलालों के माध्यम से सुलभ हैं और प्रतिभूतियों का व्यापार केवल स्टॉक एक्सचेंजों तक ही सीमित है। इसलिए एलआईसी केवल दलालों के माध्यम से द्वितीयक बाजार व्यापार करता है। विवरण इस प्रकार है-

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25	पिछला वित्त वर्ष 2023-24 [®]
खरीद का संकेन्द्रण	अ. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक दलालों से खरीद	16.64% द्वितीयक बाजार व्यापार	14.86% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	142	143
	इ. दलालों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक दलालों से खरीद	9.87%	9.13%
बिक्री का संकेन्द्रण	अ. कुल बिक्री के % के रूप में दलालों को बिक्री	12.96% द्वितीयक बाजार व्यापार	15.67% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जिनके माध्यम से बिक्री की जाती है	142	143
	इ. दलालों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों को बिक्री	9.54%	9.52%
आरपीटी का हिस्सा	अ. खरीद (संबंधित पार्टियों के साथ खरीद/कुल खरीद)*	1.54%	2.00%
	आ. बिक्री (संबंधित करने के लिए बिक्री पार्टियों/कुल बिक्री)**	1.89%	0.18%
	इ. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ई. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

[®]पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

*RPT - इसमें सभी प्रकार की खरीदारी और आवेदन राशि शामिल है

**RPT - इसमें सभी प्रकार की बिक्री, मोचन और रिफंड शामिल हैं

नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

कुल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
2135 सत्र	विपणन चैनलों द्वारा मूल्य श्रृंखला भागीदारों (निर्दिष्ट व्यक्तियों) का प्रशिक्षण उत्पाद प्रशिक्षण, भारत में जीवन बीमा बाजार, संभावित और भविष्य के अवसर, जरूरतों की पहचान-जीवन बीमा क्यों? बैंक उत्पादों और बीमा उत्पादों और बीमा पॉलिसियों बनाम बैंक एफडी की स्थिति। इसके अतिरिक्त, मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।	9.9%**
41 सत्र	स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता अभियान, फायर ड्रिल, वृक्षारोपण, वैधानिक अनुपालन, स्वच्छता जागरूकता, स्वच्छता शपथ, पीओएसएच, अग्नि और सुरक्षा जागरूकता, पीएफ, ईएसआई, प्राकृतिक चिकित्सा, सफाई और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और एहतियात, यौन उत्पीड़न और भेदभाव / उपचार।	49.75

**वर्ष 2024-25 के दौरान, 35 बैंकों, 42 अन्य कॉर्पोरेट एजेंटों, 115 दलालों और 86 आईएमएफ ने केवल व्यवसाय में योगदान दिया

- क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

- हाँ, प्रक्रियाएं चल रही हैं। निदेशकों से हितों के प्रकटन के साथ-साथ निदेशकों की स्वतंत्रता की घोषणा नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है। हितों के टकराव से बचने के लिए, निदेशक किसी भी एजेंडा मद (मदों) में भागीदारी से खुद को अलग कर लेते हैं, जहां भी उन्हें रुचि दिखाई जाती है और एक बैठक में चर्चा की जा रही है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

- संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

आर एंड डी मुख्य रूप से उत्पाद विकास, निगरानी, संशोधन, समापन के साथ-साथ इसके पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर जोर देने के साथ नए संस्करणों को पेश करने पर केंद्रित है। ग्राहक अनुभव और संतुष्टि वह आधार बना हुआ है जिस पर बोर्ड भर में कागज के उपयोग को कम करने सहित इस पहलू में पहल की जाती है।

पुराने ऊर्जा अक्षम उपकरणों जैसे एसी, लाइट बल्ब, लिफ्ट आदि को आधुनिक ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलने, नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सौर उपकरणों की स्थापना, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन आदि पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। इसका प्रभाव बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सूर्य के प्रकाश जैसे पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के उपयोग और पानी के संरक्षण में महसूस किया जाता है।

2. क. क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं? – (हां/नहीं)

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

➤ हाँ।

बीमा उद्योग के एक हिस्से के रूप में, हमारे संचालन मुख्य रूप से डिजिटल समाधानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। हालांकि हमारी प्रक्रियाएं सीधे पारंपरिक विनिर्माण को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, हम दिशानिर्देशों और प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित इनपुट के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे संचालन की प्रकृति को देखते हुए, टिकाऊ सोर्सिंग और पहचान प्रतिशत के पारंपरिक उपाय सीधे लागू नहीं होते हैं। हालांकि, हम स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यापक संगठनात्मक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

जबकि हमारे संचालन विनिर्माण से भिन्न हैं, हम उन दिशानिर्देशों और प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित संसाधनों के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे पास निगम के लिए एक खरीद नीति है जो सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, प्रतिस्पर्धा में सुधार करती है, प्रतिभागियों के बीच इकिटी सुनिश्चित करती है और 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करती है। सभी अधिप्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके संसाधित किया जाता है, केवल भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है।

3. उपयोगिता के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट

चूंकि निगम बीमा व्यवसाय में है, इसलिए पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को ई-कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वर, कम्प्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन प्राथमिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है, जो निराकरण करने के बाद सभी स्थानों से हार्डवेयर ई-अपशिष्ट उठाते हैं। री-साइक्लिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। ई-अपशिष्ट और विद्युत अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए, सुरक्षित निपटान संग्रह बॉक्स एलआईसी प्रधान कार्यालय परिसर में रखे गए हैं। हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, बायबैक के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिए जाते हैं। बदले में, विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर उठाता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से एक निर्धारित प्रमाण पत्र लिया जाता है।

निगम ने अपने कार्यालयों में कागज के उपयोग को कम करने के लिए संचालन के डिजिटलीकरण द्वारा नई पहल की है, इस प्रकार कागज के उपयोग को कम किया है। एकल उपयोग प्लास्टिक फोल्डर/बोतलों के उपयोग को कम करना, प्लास्टिक फोल्डर को पेपर फोल्डर से बदलना, मिट्टी के बर्तनों के साथ पौधों के लिए प्लास्टिक के बर्तन, कुछ कार्यालयों में पेपर पेन की आपूर्ति, एक बार रिफिल समाप्त हो जाने के बाद, इन कलमों को रिवर्स में बीज के साथ लगाया जा सकता है, पौधों को उगाने के लिए लगाया जा सकता है। कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए स्टेनलेस स्टील कॉफी / चाय मग द्वारा डिस्पोजेबल कप को बदलना।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

पारंपरिक अर्थों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारी गतिविधियां भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से सीधे जुड़ी नहीं हैं।

हालांकि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित ई-कचरा निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

सेवा उद्योग में होने के कारण, सामान्य बोलचाल की भाषा में जीवन चक्र मूल्यांकन जीवन बीमा अनुबंधों पर लागू नहीं होता है। हालांकि, उत्पाद विकास के दृष्टिकोण से, आवधिक मूल्यांकन या मूल्यांकन एक आदर्श है। शुरू की गई प्रत्येक योजना में मृत्यु दर, रुग्णता, ब्याज दरों, प्रशासनिक लागतों आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में कतिपय अनुमान लगाए गए हैं। समय बीतने के दौरान, जब कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें लगाई गई धारणाएं और क्षेत्र से निकलने वाले वास्तविक परिणाम विभिन्न परिदृश्यों में प्रदान की गई सीमाओं से अधिक भिन्न हो रहे हैं, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक छोर पर योजना को नियंत्रित करने वाले मापदंडों में बदलाव का रूप ले सकता है और दूसरे छोर पर योजना को वापस ले सकता है और यदि आवश्यक हो तो संशोधित योजना के साथ आ सकता है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है, इससे कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता या जोखिम विकसित नहीं होता है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली सामग्री लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेता है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया गया:

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	69740	69740	100	69740	100			69740	100	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	21866	21866	100	21866	100	21866	100			लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	91606	91606	100	91606	100	21866	100	69740	100	लागू नहीं	लागू नहीं

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	13	3	23.08	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
कुल	14	3	21.43	0	0	1	100	0	0	0	0

ख. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कार्यकर्ता										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिवस देखभाल सुविधा	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (च)	% (च/क)	संख्या (छ)	% (छ/क)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च:

	वित्तीय वर्ष 2024-2025	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.001934% (ii) मेडीक्लेम:-0.0931228% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000156% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच:- 0.002841%	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.0008% (ii) मेडीक्लेम:-0.03421% (iii) समूह बीमा:-0.00574% (iv) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.00012% (v) निवारक स्वास्थ्य जांच- 0.0007%

इन आंकड़ों में 18% जीएसटी शामिल नहीं है।

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)
पीएफ(*)	100% – सभी पात्र कर्मचारी कवर किए गए हैं	संगठन में श्रमिकों की कोई श्रेणी नहीं	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।	69.44%	संगठन में श्रमिकों की कोई श्रेणी नहीं	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।
एनपीएस	100% – सभी पात्र कर्मचारी कवर किए गए हैं		हाँ	**		हाँ
उपदान	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।
ईएसआई	लागू नहीं		लागू नहीं			
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें (#)	100%		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।	100%	-	सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।

(*) 01.04.2010 को और उसके बाद निगम की सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होते हैं और एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम संख्या 1 के तहत कवर नहीं होते हैं।

(**) 2023-24 में 30.56% कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आए।

(#) निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न लाभों के हकदार हैं, जिनमें विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण, समूह बीमा योजना, समूह चिकित्सा दावा योजना, समूह बचत संबद्ध बीमा योजना का संचय, पेंशन लाभ शामिल हैं जिन्होंने इसे चुना है।

3. कार्य स्थलों की सुगमता

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को नए और मौजूदा कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान करने की सलाह दी गई है। और अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान किया जाएगा जिसे नए और मौजूदा कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे कि रैंप, रेलिंग, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधों आदि के साथ संशोधित किया है। हमारे पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए वॉशरूम हैं (पहुंच योग्य दरवाजे, ग्रैब रेलिंग आदि के साथ) जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हमारे पास दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे कई कार्यालयों में रैंप, ग्रैब रेलिंग आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मार्ग, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान किए गए हैं।

4. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक समान अवसर नीति अपनाई है। यह विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। समान अवसर नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

लिंक: <https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. अभिभावकीय अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य वापसी दर व प्रतिधारण दर :

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कार्यकर्ता	
	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

नोट: निगम में “श्रमिक” के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, हमारे पास एक कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल है जिसे ई-समाधान कहा जाता है। शिकायतें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑन-लाइन अग्रेषित की जाती हैं। अगले उच्च अधिकारी के पास अपील करने का प्रावधान है। शिकायत समाधान का समय 90 दिन है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए केन्द्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां भी हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ। स्थायी कर्मचारियों के लिए सभी तंत्र स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य के लिए भी उपलब्ध हैं।

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों)/यूनियनों में कर्मचारियों/श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ श्रमिकों की, जो संघों या संघ का हिस्सा हैं	%(घ/ग) लागू नहीं
	क	ख	% (ख/क)	ग	घ	%(घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	91,606	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं	98,661	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	
- पुरुष	69,740			75,411		
- महिला	21,866			23,250		
कुल स्थायी श्रमिक	लागू नहीं					
- पुरुष						
- महिला						

नोट: निगम में 'श्रमिक' के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25					पिछला वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		पर निपुणता उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (च)	% (च/घ)	संख्या (छ)	%(छ/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	69,740	*	*	46,081	66.07%	75,411	*	*	66,362	88.00%
महिला	21,866	*	*	15,196	69.50%	23,250	*	*	21,012	90.37%
कुल	91,606	*	*	61,277	66.89%	98,661	*	*	87,374	88.55%

** श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

*यह सुनिश्चित किया जाता है कि 'योग और स्वास्थ्य' सत्र हमारे सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एलआईसी प्रधान कार्यालय में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। कर्मचारी सगाई कार्यक्रम (ईईपी), डेढ़ दिन के लिए, सभी 113 डिवीजनों द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने 33% कर्मचारियों (27342) को लक्षित किया, जिसमें रिकॉर्ड क्लर्क से लेकर देश भर के सभी कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। 'स्वास्थ्य और कल्याण' पर सत्र ईईपी का एक हिस्सा था। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाना और संगठन के विजन और लक्ष्यों के साथ सशक्तिकरण, जुड़ाव, प्रोत्साहन और सरेखण की भावना को बढ़ावा देना है।

9. कर्मचारियों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	कर्मचारियों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण					
	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25			पिछला वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारियों						
पुरुष	69,740	69,740	100	75,411	75,411	100
महिला	21,866	21,866	100	23,250	23,250	100
कुल	91,606	91,606	100	98,661	98,661	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

- अ. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली क्या है?
- कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कड़े दिशा-निर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए नीति, अग्नि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें अग्निशमन उपकरण, अग्नि शमन ड्रिल, हमारे सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन, विद्युत और अग्नि सुरक्षा पैरामीटरों की आवधिक जांच आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। साथ ही, प्रमुख विभागों तक सीमित पहुंच का कार्य शुरू किया गया है। हमारे पास सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों पर एसओपी हैं, जिसमें किसी भी घटना के मामले में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा परिभाषित भूमिकाओं का पालन किया जाना है। अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारी तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया दें और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो। कर्मचारियों को समूह बीमा, समूह अवधि बीमा और 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकलेम स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने और अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त कवर लेने के विकल्प के साथ अस्पताल में भर्ती करने के लिए कवर किया जाता है। निवारक स्वास्थ्य जांच योजना और उच्च लागत उपचार के मामले में चिकित्सा व्यय की अनुग्रह प्रतिपूर्ति की योजना भी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ हैं।
- आ. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?
- लागू नहीं है क्योंकि हम एक वित्तीय सेवा इकाई हैं।
- इ. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (वाई/एन)
- लागू नहीं
- ई. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (वाई/एन)
- हाँ। सभी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं। कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल नीतियां हैं। समूह सावधि बीमा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। स्वास्थ्य जांच, योग, नेत्र जांच, अस्थि घनत्व आदि जैसी पहल और विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली को शिक्षित और सक्षम करने के लिए बातचीत की जाती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्न स्वरूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
विगत समय चोट लगने की आवृत्ति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट) (एलटीआईआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
मरने वालों की संख्या	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। निगम के संवेदनशील विभागों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं, नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है और निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। निगम का प्रत्येक कर्मचारी मासिक परिवेश सर्वेक्षण में अपनी रेटिंग देता है, जहां कार्यालयों में सफाई के विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। सफाई और रिकॉर्ड रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल डीओ और मॉडल बीओ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नियमित कीट नियंत्रण सेवाएं, कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, स्क्रेप का निपटान, खाली स्थानों की पहचान और उचित उपयोग, पौधे लगाना, वर्षा जल संचयन, विकलांगों के लिए रैंप और रेलिंग की स्थापना, सौर पैनल लगाना आदि सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की जा रही हैं। आज की तारीख में हमारे अधिकांश कार्यालय एलईडी लाइटिंग का उपयोग कर रहे हैं।

हमने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रचलित नीति के बारे में जागरूक किया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	हमारे सभी कार्यालयों का निरीक्षण हर साल हमारी निरीक्षण टीमों द्वारा किया जाता है
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

संरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए बैगेज स्कैनर मशीनें और अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और सुरक्षा गार्ड।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है।

कर्मचारी: हाँ। निगम कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सहायता के रूप में निम्नानुसार लाभ प्रदान करता है:

1. समूह बीमा -2004 यदि चुना गया हो
2. समूह आवधिक बीमा जिसका भुगतान नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यह विशेष रूप से पेंशन के कम्यूटेशन के नुकसान से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक निगम की सेवाओं में बना रहता है।
3. समूह बचत लिंकड बीमा का जोखिम और बचत भाग
4. 24 घंटे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर यदि कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।
5. ग्रेच्युटी का भुगतान तब भी किया जाता है जब कर्मचारी ने कंपनी के साथ पांच साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की हो। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) नियम, 1960 और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भी की जाती है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उच्चतर भुगतान किया जाता है। पीएल नकदीकरण के बदले एकमुश्त
6. यदि लागू हो तो अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
7. पारिवारिक पेंशन यथा लागू
8. भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान
9. निधि के लिए निगम अंशदान (पीएफ ऑप्टीज़ के लिए)

मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा आयु पात्र बच्चे को अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है

2. संस्था द्वारा किए गए उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा धानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि निगम के प्रेषण के भीतर लेनदेन पर लागू करों की कटौती की जाती है और मौजूदा नियमों के अनुसार जमा की जाती है। आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में इस गतिविधि की समीक्षा की जाती है। निगम अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यावसायिक जिम्मेदारी, सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखेंगे। यह चैनल भागीदारों के साथ निष्पादित सेवा स्तर समझौते का भी हिस्सा है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताना, जिन्हें कार्य संबंधी उच्च परिणाम वाली चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

श्रेणी	कुल संख्या प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या		नहीं। उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कर्मचारियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं) हाँ।

सभी कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहार कौशल में उत्कृष्टता के लिए निगम के साथ अपने कैरियर के दौरान निरंतर सीखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए गए हैं। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। निगम का एक स्व-शिक्षण, स्व-मूल्यांकन पोर्टल 'ज्ञानपीठ' भी है जो निगम के विभिन्न कार्यों, नियमों / विनियमों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान करता है। वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन को निदेशक संस्थान, मुंबई के माध्यम से आयोजित 'नामित निदेशकों के लिए मास्टर क्लास' का अनुभव है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने मूलभूत ज्ञान को ताज़ा करने और कंपनी के भीतर गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र निदेशकों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स

(आईआईसीए) द्वारा प्रस्तावित ई-लर्निंग पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्त और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

संविदा/करार में सरकार/अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप शर्तें निर्धारित की जाती हैं और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	संविदा/करार में सरकार/अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप शर्तें निर्धारित की जाती हैं और यह निहित है कि वे औसत से अधिक कार्य दशाओं के साथ लागू सांविधिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियों का अनुपालन कर रहे हैं।
काम करने की स्थिति	यह सुनिश्चित किया जाता है कि कामगार क्षतिपूर्ति नीति मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा हेलमेट, बॉडी हार्नेस, सुरक्षा जूते और अन्य सुरक्षा मानदंडों के प्रावधान के लिए भी सुनिश्चित किया जाता है। उचित वॉशरूम, पोटैबल पानी आदि प्रदान करके साइट की स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के (वैल्यू चैन पार्टनर) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हालांकि, वित्तीय नियोजन समाधान जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, गंभीर बीमारियों के साथ-साथ मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइफ कवर के साथ, विभिन्न बीमा उत्पाद परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और व्यक्तियों को परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ग्राहकों में स्व-नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ वेतनभोगी व्यक्ति और उनके आश्रित, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति आदि शामिल हैं। हमारे जीवन बीमा उत्पाद कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के खिलाफ परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी आदि के मामले में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। यह बचत, निवेश और बच्चे की शिक्षा, विवाह आदि के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का एक उपकरण भी है। हम संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए जीवन कवर के अलावा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह बीमा उत्पाद भी प्रदान करते हैं।

जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी, जिम्मेदार निवेश, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, वित्त तक पहुंच, उभरते जोखिम और शासन के आसपास घूमते हैं। तदनुसार, हमारे प्रमुख हितधारकों को आंतरिक हितधारकों और बाहरी हितधारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। आंतरिक हितधारक हमारे कर्मचारी और एजेंट हैं जबकि बाहरी हितधारक वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय में योगदान करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बाहरी हितधारक हैं: निवेशक और शेयरधारक, ग्राहक (पॉलिसीधारक), सरकार और नियामक निकाय, व्यापार भागीदार (सीए / ब्रोकर / आईएमएफ / सीएससी), वितरण चैनल।

2. आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना गया है	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पच्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
निवेशक और शेयरधारक	नहीं	आवश्यकता के अनुसार: ईमेल, वार्षिक सामान्य बैठक, त्रैमासिक परिणाम, स्टॉक पर फाइलिंग एक्सचेंज, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया इंटरैक्शन, समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार	त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। कॉर्पोरेट की फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणाएं।	निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
कर्मचारियों	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, कर्मचारी वेबसाइट, एसएमएस, कॉल, नोटिस बोर्ड	नियमित रूप से	सूचना साझा करना, और प्रश्नों को संबोधित करना। विभाग में कार्य प्रगति पर नियमित जुड़ाव
ग्राहकों पॉलिसीधारक जिनकी पॉलिसी भुगतान के लिए देय है जैसे कि उत्तरजीविता लाभ, परिपक्वता लाभ, आदि, या मृत्यु दावों के मामले में लाभार्थी	नहीं	सूचना पत्र, एसएमएस, एलआईसी डिजिटल ऐप, व्हाट्सएप एसबी और परिपक्वता मामलों के मामले में संदेश और ईमेल। बकाया दावों और एनईएफटी अद्यतन के लिए विज्ञापन।	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	नए ग्राहकों को प्राप्त करने और मौजूदा लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए; उन्हें देय दावे और होने की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने के लिए दावों के प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए प्रस्तुत किया गया
व्यापार भागीदार (सीए/ब्रोकर/आईएमएफ/सीएससी)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, मीटिंग और वेबसाइट के माध्यम से	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा व्यवसाय की सेवा और आगे विस्तार की गुंजाइश
सरकार और नियामक निकाय	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत मीटिंग्स, कॉल, वीडियो कॉल	जब और जब आवश्यक हो	नियामक अनुपालन, निरीक्षण और शिकायत मामलों में
वितरण चैनल: प्रीमियम पॉइंट, एजेंट, सीएलआईएस, सीओएस, डीएसए, सीएलआईए /	नहीं	संचार के कई चैनल - भौतिक और डिजिटल	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा पॉलिसीधारक को सेवाएं प्रदान करना और नए व्यवसाय की खरीद करना
समुदाय	नहीं	समाचार पत्र, विज्ञापन, आदि	नियमित आधार पर	बीमा जागरूकता

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

बोर्ड और इसकी समितियों को हितधारकों की प्रतिक्रिया सहित विविध विषयों पर समय-समय पर अपडेट प्राप्त होते हैं। सरकार और विनियामक निकायों के साथ जुड़ने के लिए, बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल का उपयोग किया जाता है। निगम विनियामक निकायों से परामर्श पत्रों का निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जवाब देता है। बोर्ड में अलग-अलग समितियाँ हैं और प्रत्येक समिति की एक परिभाषित भूमिका और चार्टर है। हम सर्वेक्षण, एसएमएस, कॉल सेंटर, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों, नई पहलों, सेवाओं और उत्पादों के बारे में ग्राहकों से जुड़ते हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से ग्राहक विश्लेषण का उपयोग अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निगम अपने कर्मचारियों को महत्व देता है और पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य मामलों को कम करने के लिए शिकायतों, चिंताओं और विचारों को संबोधित करने पर सक्रिय रूप से उनका इनपुट मांगता है।

निगम की निवेशक संबंध टीम निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के साथ जुड़ती है। विश्लेषकों की रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक और निवेशकों की बैठक से फीडबैक निगम के बोर्ड को रखे जाते हैं। शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतें और प्रश्न और समाधान की स्थिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के साथ-साथ निगम के बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। बोर्ड की ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) समिति निगम की

ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है। शेयरधारकों द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर उठाए गए प्रश्नों को, यदि कोई हो, चर्चा के लिए रखा जाता है। बोर्ड की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है।

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।

हाँ, शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों और प्रश्नों तथा समाधान की स्थिति को बोर्ड की स्टैकहोल्डर्स की संबंध समिति के समक्ष रखा जाता है जिसकी प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। इसे प्रत्येक तिमाही में निगम के बोर्ड के समक्ष भी रखा जाता है। आथक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए रखा जाता है।

निगम ने लंबे समय से उन ग्राहकों से प्रतिक्रिया के महत्व और उपयोगिता को समझा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। पॉलिसी धारक परिषदें ऊपर मंडल स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक हैं। इनमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों जैसे पेशेवरों और इसी तरह के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य लोगों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आइडिया बॉक्स में योगदान के रूप में सभी कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है, जिसके लिए चयनित और कार्यान्वित किए गए सर्वोत्तम विचारों के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं। यह स्तरित दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर बारीकियों से संबंधित मामलों को उच्च स्तरों पर मैक्रो मुद्दों तक हमारे ध्यान में लाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद और सर्विसिंग पहलुओं में सूचित परिवर्तन होते हैं।

3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सहभागिता के मामलों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा प्रदान करना।

कमजोर/सीमांत हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, निगम ने पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है:

अनुकूलित उत्पाद प्रसाद: कम आय वाले व्यक्तियों, ग्रामीण आबादी और अन्य अयोग्य समूहों के लिए बीमा उत्पाद विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों को समझने और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत सुविधाओं के साथ किफायती प्रीमियम की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लान उपलब्ध हैं। साप्ताहिक भुगतान पद्धति सहित सुविधाजनक भुगतान विधियां उपलब्ध हैं। माइक्रो-बीमा पॉलिसीधारकों को एनजीओ और बंधे एजेंटों के माध्यम से सेवित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी-संचालित आउटरीच: मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार किया जहां पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचा सीमित है। निगम के मोबाइल एप्लिकेशन सूचना और नीति सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक अपनी नीतियों को दूरस्थ रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: हम गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भागीदारी करते हैं जो सीधे हाशिए के समूहों के साथ काम करते हैं। यह हमें विश्वसनीय स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से कमजोर/हाशिए वाले हितधारक तक पहुंचने में मदद करता है, बेहतर जुड़ाव और विश्वास-निर्माण सुनिश्चित करता है।

शिकायत निवारण: निगम ने पॉलिसीधारकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें हाशिए के हितधारक भी शामिल हैं ताकि वे चिंताओं को दूर कर सकें।

चैनल पार्टनर्स के लिए प्रशिक्षण: कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग फील्ड फोर्स चैनल पार्टनर्स को कमजोर ग्राहकों के साथ जुड़ने और उनकी सेवा करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फ्रंट-लाइन स्टाफ इन हितधारकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है।

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ / ग)

कर्मचारियों

स्थायी	91,606	33,371	36.43%	98,661	23,545	23.86%
स्थायी के अलावा अन्य	14	0	0	6	0	0
कुल कर्मचारी	91,620	33,371	36.42%	98,667	23,545	23.86%

श्रमिक**

स्थायी	शून्य				
स्थायी के अलावा अन्य					
कुल कार्यकर्ता					

**निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	वर्तमान वित्तीय वर्ष					विगत वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	%(ग / क)		संख्या (च)	%(च/घ)	संख्या (छ)	%(छ/)

कर्मचारियों

स्थायी	91,606	0	0	91,606	100	98,661	0	0	98,661	100
पुरुष	69,740	0	0	69,740	100	75,411	0	0	75,411	100
महिला	21,866	0	0	21,866	100	23,250	0	0	23,250	100
स्थायी के अलावा अन्य	14	0	0	14	100	6	0	0	6	100
पुरुष	13	0	0	13	100	5	0	0	5	100
महिला	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100

श्रमिक**

स्थायी	लागू नहीं				
पुरुष					
महिला					
स्थायी के अलावा अन्य					
पुरुष					
महिला					

**निगम में “श्रमिक” के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है।

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

अ. माध्यिका पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	5	96,62,416.46	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)*	7	49,58,139	1	46,13,856
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	69746	20,53,509.18	21866	22,32,574.94

*पारिश्रमिक के विवरण में केवल निगम के सीईओ और एमडी तथा प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता ('बोर्ड नीति') पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निगम के स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि सरकारी नामित निदेशक कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

आ. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	24.48%	24.19%

4. क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)

हाँ। कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) मानव संसाधन प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मानवाधिकार प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करेगा।

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

निगम के पास शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली है। शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट साइट पर ई-समाधान नामक पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। इन्हें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अगले उच्च अधिकारी को अपील करने का भी प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार, विभाग ने अनुकूल कार्यक्षेत्र बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। निगम के सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। निगम की महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों के बराबर हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25			पिछला वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	9	2(\$)	शून्य	14	2(*)	
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	वेतन संरचना में समानता					
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(*) दोनों शिकायतें वित्तीय वर्ष 2024-2025 में बंद कर दी गई हैं

(\$) दोनों शिकायतें चालू वित्त वर्ष 2025-2026 में बंद कर दी गई हैं

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत कुल शिकायतें दर्ज की गईं	9	14
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	0.041%	0.060%
पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखी गईं	2	शून्य

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

निगम ने शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र सहित एक विस्तृत सूचना प्रदाता प्रक्रिया निर्धारित की है। व्हिसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्हिसल ब्लोअर और/या संरक्षित प्रकटीकरण संसाधित करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित नहीं किया जाता है। व्हिसल ब्लोअर निम्नलिखित संरक्षण का हकदार है:

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्हिसल ब्लोअर जिसने इस नीति के तहत प्रकटीकरण किया है, किसी भी कार्यवाही की शुरुआत से या अन्यथा केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं है कि ऐसे शिकायतकर्ता ने इस नीति के तहत जांच में प्रकटीकरण किया था या सहायता प्रदान की थी।
- जहां कहीं भी सूचना प्रदाता ने उत्पीड़न/उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पहचान ज्ञात हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानान्तरण आदि के माध्यम से उत्पीड़ित/पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि कोई सूचना प्रदाता सुरक्षा चाहता है और यह सूचित करता है कि उसका जीवन खतरे में है तो सतर्कता अधिकारी मामले की जांच करेगा और सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष को अपनी सिफारिश भेजेगा।
- व्हिसलब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि न्यायालय/अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के लिए वारंट न हो। इसके अतिरिक्त, जांच लंबित रहने के दौरान, निगम पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित कर सकता है या तीन महीने की अवधि तक की छुट्टी या कोई अन्य ऐसी राहत दे सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी को पीड़ित महिला के कार्य निष्पादन पर रिपोर्ट करने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोका जा सकता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

- हाँ, जहाँ भी आवश्यक हो

10. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
मजबूर/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

निगम तालिका में उल्लिखित विषयों पर सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है।

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

निगम का मानना है कि उसने अपने सभी व्यवहारों में मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह इसके मानवाधिकार वक्तव्य के अनुरूप है। निगम नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के बारे में सुग्राही बनाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसी भी नीति या प्रक्रिया में किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाएं, या किसी भी कार्य की रिपोर्ट करें जो निगम की आचार संहिता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति, रिश्तित विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति, धन शोधन विरोधी नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी-रोधी नीति, सूचना और साइबर सुरक्षा नीति या कार्यस्थल पर कर्मचारी आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई अन्य नीति जिसे समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है या कोई अन्य वैधानिक या नियामक कानून जो लागू हो सकता है।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।

निगम की शासन प्रक्रिया के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है?

- निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान किए जाएंगे। इसे नए और मौजूदा कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।
- निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे रैंप, रेल, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधकों आदि के साथ संशोधित किया है ताकि इसे अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके। विकलांग व्यक्तियों को सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है ताकि वे प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। इसी तरह की सुविधाएं हमारे शेष कार्यालयों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर पाथवे एप्रोच, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान करके कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- नहीं, लागू नहीं।

हम अपने मूल्य-श्रृंखला भागीदारों के साथ अपने नए और मौजूदा अनुबंधों में प्रासंगिक मैट्रिक्स को शामिल करते हैं।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

Parameter	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)		
कुल ईंधन खपत (ख)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) सौर	18307 GJ	30596 GJ
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	18307 GJ	30596 GJ
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	422858 GJ	329308 GJ
कुल ईंधन खपत (च)	390283 GJ	394649 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (छ)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ + च + छ)	813141 GJ	723957 GJ
खपत की गई कुल ऊर्जा (क + ख + ग + घ + च + छ)	831448 GJ	754553 GJ
टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	1.70	0.85
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/प्रचालनों से राजस्व)	3.5139 KJ/USD PPP	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	9.07 GJ /सामान्य ज्ञान /प्रति कर्मचारी	

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 के रूप में ली गई है जो आईएमएफ की वेबसाइट के अनुसार है- अप्रैल 2025

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं

2. क्या निगम के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

नहीं, हमारे पास ऐसी कोई साइट या सुविधाएं नहीं हैं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

निगम का पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, हमारे प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी), बोरीवली में, एक वर्षा जल संचयन इकाई वर्षा जल संग्रहण स्थापित है। यह इकाई पास के बोर से जुड़ी है अच्छी तरह से देय जिससे बोरवेल का पुनर्भरण किया जाता है और बोरवेल के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	19571	में 2023-24 मूल्यांकन नहीं किया गया
(ii) भूजल	680535	
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	559024	
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत पानी	0	

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
(v) अन्य	8311	
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	1267441	
पानी की कुल खपत (किलोलीटर में)	1267441	35506901.984
कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/संचालन से राजस्व) (किलो लीटर/आईएनआर करोड़)	2.59	0.0000041
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.0054 एल/यूएसडी पीपीपी	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पानी की तीव्रता		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	13.83 केएल /प्रति कर्मचारी	

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है?

नहीं

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई इलाज नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)(i + ii + iii + iv + v)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

5. क्या निगम ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

➤ लागू नहीं

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
NOx		लागू नहीं	लागू नहीं
Sox			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

लागू नहीं

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (जीएचजी का(सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी एस एफ 6, एन एफ 3, में विभाजन, (यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	27,014	13,108
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	84,102	67,250
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन /		0.23	0.09
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन /		0.0004696 किग्रा/USD	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		1.21 एमटी/कर्मचारी	

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

निगम डेस्कटॉप के लिए बिजली बचत समाधान की खरीद के लिए प्रक्रिया में है।

ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं और ईएसजी पहलों के निर्माण के एक हिस्से के रूप में हमने 212 स्थानों पर सौर पीवी पैनल स्थापित किए हैं, कुल 8110 किलोवाट क्षमता जिसके परिणामस्वरूप 21566.50 टन कार्बन की कमी आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 4068.11 टन हुआ है, 31 मार्च 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी।

इसके अलावा, हमारे विपणन और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच दिन-प्रतिदिन के उपयोग के लिए ईवीएस की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के एक हिस्से के रूप में, इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 18 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा, ईवी कारों का उपयोग संगठन में लोकप्रिय हो रहा है।

9. निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	920	4081
ई - अपशिष्ट (बी)	940	116
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक-अप, क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा) - कागज, स्क्रैप धातु, आदि	512	
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	2372	4201
टर्नओवर का प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व)	0.005	0.005
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पत्ति/प्रचालनों से राजस्व)	0.0000100 किग्रा/USD PPP	
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0.03 एमटी/प्रति कर्मचारी	
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से बरामद कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूमि भरना	-	-
(iii) अन्य निपटान संचालन	-	-
कुल	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं, लागू नहीं

10 आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

हम अपशिष्ट प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि हमारे संचालन में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, हम जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं।

हमारे कार्यालयों में एकल प्रयुक्त प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। फॉर्म, प्रमाण पत्र आदि की सॉफ्ट कॉपी जारी की जा रही है। बेहतर सर्विसिंग और समय अंतराल को कम करने के लिए पेंशन दस्तावेजों को स्कैन किया गया है। सभी कर्मचारियों द्वारा कागज लेखन सामग्री का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है।

हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, उन्हें बायबैक समझौते के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिया जाता है। बदले में विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर का निर्माण करता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में शामिल हैं:

ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचा: हम संसाधन खपत को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन: हमने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है।

पेपरलेस पहल: हम पेपरलेस प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में भौतिक सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए नई पहल करते हैं।

- 11 यदि निगम के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव-विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

लागू नहीं

- 12 चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं

- 13 क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (वाई/एन)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

क्रम स.	उन कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई बोर्ड या अदालतों द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निगम लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करता है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल-संकट वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलो-लीटर में): शून्य
जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क्षेत्र का नाम - लागू नहीं
- संचालन की प्रकृति - लागू नहीं
- निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:- लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेकअप, यदि उपलब्ध हो)		लागू नहीं	लागू नहीं

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल दायरा 3 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं क्योंकि हमारा कोई भी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं है

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी का विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

ऐसी यूनिटों में जल दक्ष जुड़नारों, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष विद्युत जुड़नारों, पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेट का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। हमने वित्त वर्ष 2024-25 में 22 भवनों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त किया है और 19 भवनों के लिए यह प्रक्रिया में है।

5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण वेब-लिंक में 100 शब्दों दें।

हां, निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना है। व्यापार-रुकावट जोखिम परिचालन जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जो मामूली से लेकर विनाशकारी तक हो सकती हैं जो दिन-प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। निगम ने व्यवसाय निरंतरता के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति (बीसीपी) की है जिसमें व्यवसाय निरंतरता ढांचे को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए समग्र दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। बीसीपी ढांचा मौजूद है, और आपदा की स्थिति (ओं) पर प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश/दिशानिर्देश प्रदान करता है और इसमें मानव जीवन की सुरक्षा और न्यूनतम डाउन टाइम के उपाय भी शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रदान करने के लिए निरंतरता योजना को औपचारिक रूप दिया गया है। एलआईसी को बीसीपी के लिए आईएसओ 22301 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, आपातकालीन परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक आपदा रिकवरी साइट स्थापित की गई है। व्यापार निरंतरता अभ्यास महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए नियमित आधार पर किया जाता है और व्यापार-रुकावट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भी।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति जीवन बीमा है।

7. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

शून्य

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या खरीदे गए हैं:

अ. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

ब. शीर्ष दस मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा। (बिक्री के मूल्य के संदर्भ में क्रमशः खरीद और)

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो
आवश्यक संकेतक

1. अ. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

निगम का 15 से अधिक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबंध है

ब. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) संस्था का सदस्य / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी (आईएसटीडी)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडी)	राष्ट्रीय
3	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)	राष्ट्रीय
4	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (एएससीआई)	राष्ट्रीय
5	अखिल भारतीय प्रबंधन परिसंघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)	राष्ट्रीय
7	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
8	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राष्ट्रीय
9	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट सोसाइटी, गुडगांव	राष्ट्रीय
10	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।

किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया

नेतृत्व संकेतक

1. निगम द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

एलआईसी ने खुद को पसंद के बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और उदारीकरण के 25 वर्षों के बाद भी अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना जारी रखा है, जिसमें प्रमुख व्यवसाय मिश्रण मुख्य रूप से एजेंसी बल के माध्यम से भाग लेने वाले व्यवसाय से आता है। इसके अलावा, एलआईसी ने जीवन बीमा के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता का लाभ उठाया है और ग्राहकों के भौतिक से डिजिटल यानी 'फिजिटल' मोड में प्रवास के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं की डिजिटलीकृत डिलीवरी का पीछा कर रहा है। एजेंसी बल को डिजिटल टूल और एनालिटिक्स के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके बायोनिक् एजेंटों की एक रणनीतिक तैनाती अपने रास्ते पर है।

हम पॉलिसी धारक और बड़े पैमाने पर बीमा उद्योग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा परिषद के माध्यम से नियामक को विभिन्न एक्सपोजर ड्राफ्ट, नियमों में प्रस्तावित संशोधन आदि पर इनपुट/विचार/सुझाव प्रदान करते हैं।

हम हर साल पूरे भारत में बीमा जागरूकता अभियान (आईएसी) आयोजित करते हैं। आईएसी के तहत हमने पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो हमारी उपलब्धियों, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो और पॉलिसीधारकों को दी गई विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। हम टीवी विज्ञापनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, लोगों से एनिमेटेड वीडियो के साथ-साथ अपने पहले वेतन के साथ बीमा खरीदने का आग्रह करते हैं, पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार / संगीत और सामान्य मनोरंजन चैनलों पर बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। क्रिएटिव विभिन्न आईएसी के लिए तैयार किए जाते हैं जैसे, अपने केवाईसी को अपडेट करना और एनईएफटी विवरण जमा करना, नीतियों का पुनरुद्धार, नई योजनाएं / उत्पाद। बीमा के बारे में प्रासंगिक संदेश पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।

बीमा जागरूकता बढ़ाने और बीमा पैठ बढ़ाने के लिए IRDAI द्वारा असम, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रोजेक्ट लीड के रूप में LIC को नामित किया गया है। हम नई पहलों के पुनरीक्षण के लिए जीवन परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों का भी हिस्सा हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण (एसआईए)।**
एलआईसी-स्वर्ण जयंती फाउंडेशन (जीजेएफ) ने प्रभाव अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है। हालांकि, फाउंडेशन द्वारा की गई पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए फाउंडेशन हर साल एक आंतरिक प्रभाव अध्ययन करता है। क्षेत्रीय निरीक्षण दल द्वारा जीजेएफ परियोजनाओं का निरीक्षण यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि जीजेएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजना का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे वित्तपोषित किया गया है और इससे आथक रूप से कमजोर वर्गों के लाभाथ्यों को लाभ होता है।
गोल्डन जुबली फाउंडेशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में बहुत काम किया जाता है। हम शिक्षा में कई परियोजनाएं शुरू करते हैं जैसे समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लगभग 30,835 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। हम बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वंचित जनता के लिए अस्पताल एम्बुलेंस, डायलिसिस मशीन, अस्पताल वार्डों की स्थापना आदि प्रदान करने जैसी अवसरचक्रात्मक सहायता प्रदान करते हैं।
- आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (आर एंड आर) के बारे में जानकारी प्रदान करें (परियोजनाओं):**
शून्य
- समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**
फाउंडेशन द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने और विद्वानों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। इसमें तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है जिसमें डिवीजन, जोन और केंद्रीय कार्यालय शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि फाउंडेशन की गतिविधियों के माध्यम से देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभान्वित किया जाए। फाउंडेशन (अखिल भारत) की धर्मार्थ गतिविधियों के सभी विवरण हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध हैं। कोई शिकायत नहीं है।
- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):**
लागू नहीं, क्योंकि कंपनी बीमा व्यवसाय में है।
- छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें**

स्थल	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2024-23
ग्रामीण	0.69%	0.57%
अर्ध शहरी	31.21%	27.49%
शहरी	36.71%	33.76%
महानगर	31.38%	38.18%

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**
सामाजिक प्रभाव आकलन में कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी।
- सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**
फाउंडेशन की सामुदायिक विकास गतिविधियां पूरे देश में फैली हुई हैं। भारत सरकार द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के लिए विशिष्ट, फाउंडेशन ने 48 परियोजनाओं के साथ 30 जिलों को कवर किया है। इन परियोजनाओं में स्कूल भवन का निर्माण, कौशल विकास केंद्र का निर्माण, जनजातीय लड़कियों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, कमरे और शौचालय ब्लॉक, पैथोलॉजी इकाइयों का निर्माण, डे केयर सेंटर का निर्माण,

महिला सशक्तिकरण परियोजनाएं, स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए वाहन, एम्बुलेंस, रोगियों के परिवहन के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन वितरण वाहन आदि शामिल हैं।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

नहीं, हमारे पास अधिमान्य खरीद नीति नहीं है। हालांकि, हम हाशिए या कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाओं की खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

(ख) आप किन सीमांत /कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) के तहत पंजीकृत विक्रेताओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और एमएसएमई के तहत पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी खरीद प्रथाएं सभी विक्रेताओं के लिए समान अवसर को प्राथमिकता देती हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अधिमान्य खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों का समर्थन करते हैं।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का कितना प्रतिशत है?

	वर्तमान वित्त वर्ष 24-25			पिछला वित्त वर्ष 23-24		
	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%
एमएसई विक्रेताओं से खरीद	1253.94	3029.63	41.38	175.22	265.96	65.88
एमएसई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेता	230.28	3029.63	7.60	2.80	-	1.05

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं है क्योंकि हम आविष्कारों, या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कलात्मक कार्यों के व्यवसाय में नहीं हैं, जिसके लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) मालिकों को आईपी कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि, हमारे इन-हाउस विकसित अनुप्रयोग हमारे संचालन की आंतरिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं और हम व्यापक उद्योग और समुदाय के साथ ज्ञान साझा करने और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाहियों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है जो देश भर में इसके उद्देश्यों - गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से जुड़ी हैं। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लाभार्थी हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: फाउंडेशन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में योगदान देता है जैसे कि निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए कौशल केंद्र का निर्माण, छात्रावास, स्कूल भवन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्कूल बस, विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण और ऑडियो-विजुअल उपकरण, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए, एलआईसी जीजेएफ द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में 100% साक्षरता के लिए साक्षरता अभियान। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 30835 योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 80.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित योग्य छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति जारी की जाती है। बीमा स्कूल स्कूली बच्चों और अभिभावकों के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है।

अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती:

फाउंडेशन ने चिकित्सा उपकरण, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल वैन, अस्पतालों का निर्माण, कैंसर रोगियों के लिए उपचार, हृदय शल्य चिकित्सा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सर्जरी और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी प्रदान करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों के माध्यम से गरीब रोगियों की पहचान की जाती है और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है।

कोविड राहत: फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड, महाराष्ट्र सरकार कोविड राहत कोष, टाटा मेमोरियल अस्पताल कोविड राहत कोष आदि में योगदान देकर कोविड-19 राहत उपायों के लिए धन दिया है।

प्राकृतिक आपदा के प्रति राहत: फाउंडेशन ने चेन्नई बाढ़, केरल बाढ़, चक्रवात फानी और ओडिशा के चक्रवात प्रवण आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मयूरभंज जिले के उदाला में बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय के निर्माण के दौरान सहायता प्रदान की है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि: भारतीय रक्षा बल के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान दिया गया है। इस निधि की स्थापना केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं के कल्याण और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए की गई है।

जलवायु कार्रवाई: फाउंडेशन ने स्कूल छात्रावास भवन, वृद्धाश्रम और विद्युत शवदाह गृह में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में योगदान दिया है। सौर पैनल के उपयोग से बिजली बिल की लागत कम हुई है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता: कन्याकुमारी के हरि तीर्थम में जल निकायों के जीर्णोद्धार और समुदायों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए योगदान। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर वेंडिंग मशीन प्रदान करना।

कोल्हापुर की मलिन बस्तियों में 'एक घर एक शौचालय योजना' के तहत शौचालय निर्माण में योगदान। देश भर के 113 स्कूलों में 169 शौचालयों के निर्माण के लिए वित्त पोषित, विभिन्न स्कूलों में शौचालय ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एलआईसी के गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में योगदान, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। बद्रीधाम में ई-शौचालय के निर्माण में योगदान और गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए स्वच्छ गंगा कोष के लिए वित्त पोषित। 'स्वस्थ भारत' पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 4,682 चिकित्सा शिविर और 5,893 सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

आर्ट गैलरी का संरक्षण और सुरक्षा: फाउंडेशन ने ओडिशा के रायगढ़ जिले के तीन लांजिया सौरा गाँवों में सौरा पेंटिंग और कलाकारों की कला को संरक्षित, संरक्षित, प्रचारित और विकसित करने के लिए एक आदिवासी कला गैलरी के निर्माण को वित्त पोषित किया है। बच्चों के लिए भोजन और रसोई के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए खाद्य वितरण वाहन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की गई।

भूमि पर जीवन: कानपुर चिड़ियाघर में जंगली जानवरों के परिवहन और बचाव के लिए एम्बुलेंस की खरीद, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, गुड़गांव के गोपालपुर खेड़ा गांव में लाइफ टाइम एनिमल अभयारण्य में सौर संयंत्र की स्थापना, जो पशु बचाव और पुनर्वास के लिए आश्रय गृह है, में योगदान।

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 24182 लाभार्थियों के साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत 87 परियोजनाएं पूरी की गईं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 3033 विद्वानों को छात्रवृत्ति वितरित की गई	27215	100%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें

ग्राहक संबंध और ग्राहक सेवा की भावना हमारी शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, जिसमें सभी स्पर्श बिंदुओं पर ग्राहक उन्मुख कर्मियों को रखने पर जोर दिया गया है। मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी समर्थ सहायता प्रणाली प्रचालित की गई है। निगम के पास एक ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत दर्ज कर सकता है और हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। IRDAI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली-बीमा भरोसा के तहत पंजीकृत शिकायतें LIC की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित हैं। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा/मंडलीय/आंचलिक/केन्द्रीय कार्यालय स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भी भेज सकते हैं।

पूरे भारत में सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक कुल 74 ग्राहक क्षेत्र संचालित होते हैं जो 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ ग्राहक की सभी सर्विसिंग आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं।

एलआईसी के पास एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24 * 7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें एक व्यापक आईवीआरएस मेनू के साथ-साथ विशिष्ट प्रश्नों और सूचनाओं के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी के साथ बात करने और शिकायत के लिए सीसीएस (कॉल सेंटर सर्विसेज) टिकट बढ़ाने का विकल्प है। ये सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास LICHELP नामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELPPOLICYNO भेजने की आवश्यकता है। एसएमएस प्राप्त होने पर, ग्राहक क्षेत्र का एक अधिकारी पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा में मैप किया जाता है, ग्राहक से उसकी शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर 'दावा समीक्षा समितियां' स्थापित की जाती हैं। समिति में एलआईसी के दो या अधिक वरिष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

एलआईसी के पास भारत सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तहत भूमिका-आधारित पहुंच है, 1) सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) एनसीएच (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) - इनग्राम मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, जिनका सीधे जवाब दिया जाता है।

2. उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है:

लागू नहीं

3. लिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-2025		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 23-24		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	54636	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार व्यवहार*	0	0	लागू नहीं	2984*	0	लागू नहीं
अन्य	19654	0	लागू नहीं	78531	0	लागू नहीं

में 2023-24 वित्त वर्ष* में, 2984 शिकायतें 'अनुचित व्यापार व्यवहार' श्रेणी के अंतर्गत दर्शाई गईं। आगे के विश्लेषण और जांच में पाया गया कि अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत नहीं है।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:

शून्य

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम के पास डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। नीतियों का पूरा सेट सभी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।

निगम को साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित कोई मुद्दा या शिकायत नहीं मिली है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

अ) डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या

डेटा उल्लंघन के कोई ज्ञात उदाहरण नहीं हैं

आ) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

इ) प्रभाव, यदि, कोई हो, डेटा उल्लंघनों का

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन यानी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने, शिक्षित करने और हमारे ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

उत्पाद और सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट (www.licindia.in) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम सक्रिय रूप से विभिन्न स्थानीय रास्ते, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है ताकि हमारे ग्राहकों को शिक्षित किया जा सके और उनसे जुड़े रह सकें

- ❖ मोबाइल ऐप: एलआईसी डिजिटल
- ❖ फेस बुक: LICIndiaForever
- ❖ यूट्यूब: LICIndiaForever
- ❖ इंस्टाग्राम: LICIndiaForever
- ❖ लिंकडइन: LICIndiaForever
- ❖ एक्स (ट्विटर) हैंडल: LICIndiaForever
- ❖ व्हाट्सएप: 8976862090
- ❖ कॉल सेंटर: 022- 6827 6827

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बीमा एक अमूर्त उत्पाद है इसलिए सामान्य उपयोग और सुरक्षा मानदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, जोखिम कवर की निरंतरता के लिए, प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। पॉलिसीधारकों को एसएमएस भेजे जाते हैं जो उन्हें भुगतान के लिए देय प्रीमियम के बारे में सूचित करते हैं, जहां मोबाइल नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में पंजीकृत है। जहां पॉलिसी रिकॉर्ड में कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, हम पॉलिसीधारकों को डाक द्वारा प्रीमियम देय सूचना भेज रहे हैं, ताकि पॉलिसियों को लागू रखा जा सके और ग्राहक पॉलिसी के तहत बीमा लाभों का आनंद ले सकें। ग्राहकों को धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए हमारे लिंक पर आने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

व्हाट्सएप पर एलआईसी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं जहां पॉलिसीधारक अपने प्रीमियम बकाया को जान सकते हैं, ऋण और ऋण चुकौती कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम भुगतान प्रमाण पत्र, यूनिप यूनिट स्टेटमेंट आदि प्राप्त कर सकते हैं।

सक्रिय ग्राहकों को नकली कॉलों और केवाईसी जमा करने की झूठी कॉलों के बारे में शिक्षित करने के लिए आवधिक पत्र भेजे जाते हैं। इसके अलावा नकली कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो समय-समय पर ग्राहकों को विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट दिए जाते हैं।

हम दावों के निपटान के लिए आवश्यकताओं के बारे में सूचित करते हुए क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। हम नियमित रूप से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज आदि पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करके ग्राहकों को सूचित और शिक्षित भी कर रहे हैं।

3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

पॉलिसीधारकों को उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में एसएमएस के माध्यम से अपडेट रखा जाता है। नए कागजातों में प्राकृतिक आपदा के मामले में विज्ञापन दिया गया है, जो ग्राहकों को दावे की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है ताकि दावे की त्वरित और परेशानी मुक्त प्रोसेसिंग हो सके।

सेवा में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के मामले में मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ हमारे पास एक व्यवसाय निरंतरता योजना है।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

लागू नहीं है क्योंकि हम बीमा व्यवसाय (अमूर्त उत्पाद) में हैं। हालांकि, बीमा उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है।

कार्य के समग्र अनुभव पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बैठकों और भुगतान प्राधिकारियों के दौरो के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगी जाती है जहां अधिक संख्या में ग्राहक उपलब्ध होते हैं। हम अपने उत्पादों/सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में सर्वेक्षण भी करते हैं।

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai – 400 021.

To the Board of Directors of Life Insurance Corporation of India

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 16.05.2025 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 17.05.2025 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2025 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in **Annexure 1** to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), and the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct Issued by Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework").

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.



Page 1 of 5

Chokshi & Chokshi LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAC-8909
Registered Office: 15/17, Raghavji 'B' Bldg., Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai-400036
Tel.: +91-22-2383 6900 ; Fax : +91-22-2383 6901 ; Web: www.chokshiandchokshi.com
E-mail: contact@chokshiandchokshi.in

CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, Golden Jubilee Foundation (GJF) team, etc., and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2025.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.
- Obtained representations from the Corporation's Management.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.

We have not performed any procedures with respect to prior periods information.



Page 3 of 5

Chokshi & Chokshi LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAC-8909
 Regd. Office: 15/17, Raghavji 'B' Bldg., Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai-400036
 Tel.: +91-22-2383 6900 ; Fax : +91-22-2383 6901 ; Web: www.chokshiandchokshi.com
 E-mail: contact@chokshiandchokshi.in

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2025 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Restriction on use or distribution

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W/W100045



Dharmista Shah
Partner
M. No. 108845

UDIN: 25108845BMFXSN9867

Place: Mumbai
Date: 03.07.2025

CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

Annexure-1

BRSR Core attributes - Reasonable assurance for FY 2024-25

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2024-25
Number of days of accounts payable	Under Principle 1 Question 8 of Essential Indicators
Open-ness of business	Under Principle 1 Question 9 of Essential Indicators
Spending on measures towards well-being of employees	Under Principle 3 Question 1(c) of Essential Indicators
Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Question 11 of Essential Indicators
Gross wages paid to female as % of wages paid	Under Principle 5 Question 3(b) of Essential Indicators
Complaints on POSH	Under Principle 5 Question 7 of Essential Indicators
Energy footprint	Under Principle 6 Question 1 of Essential Indicators
Water footprint	Under Principle 6 Question 3 of Essential Indicators
Water Discharge by destination and levels of Treatment	Under Principle 6 Question 4 of Essential Indicators
Green-house gas (GHG) footprint	Under Principle 6 Question 7 of Essential Indicators
Waste Management	Under Principle 6 Question 9 of Essential Indicators
Input Material sourced	Under Principle 8 Question 4 of Essential Indicators
Job Creation in smaller towns	Under Principle 8 Question 5 of Essential Indicators
Instances involving loss/breach of data of customers	Under Principle 9 Question 7 of Essential Indicators



BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES:

I. Details of the listed entity:

1. Corporate Identity Number(CIN) of the Listed Entity

- Not Applicable
- IRDAI Registration Number – 512

2. Name of the Listed Entity

- Life Insurance Corporation of India (Constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

3. Year of incorporation

- 1956

4. Registered office address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

5. Corporate address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

6. E-mail

- ed_rns@licindia.com

7. Telephone

- 022-22022615

8. Website

- www.licindia.in

9. Financial year for which reporting is being done

- Financial Year 2024-25

10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed

- NSE (National Stock Exchange of India Limited) and BSE Ltd.

11. Paid-up Capital:

- ₹ 6324.99 crores divided into Equity Shares totaling 6,32,49,97,701 of ₹ 10 each.

12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report-

- Ms Rosaline Kurien/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com

13. Reporting boundary – Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).

- The disclosures under this report are made on a standalone basis, unless otherwise specified.

14. Name of assurance provider:

- Chokshi & Chokshi LLP

15. Type of assurance obtained:

- Assurance for Business Responsibility and Sustainability Report. The report issued by assurance provider is annexed as Annexure '1' of this report.

II. Products/services

16 Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Insurance Services including Pension and Health	Life Insurance	100%

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Life Insurance	65110	100%

III. Operations:

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	5,004	5,004
International	NA	*See details below	125

* Total no. of Offices (International):

Sr. No.	Unit	Corporate	Branch Office
1	LIC Fiji		1
2	LIC Mauritius		1
3	LIC UK		1
4	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)*	1	5
5	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	1	76
6	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	1	25
7	Life Insurance Corporation of Bangladesh Limited	1	11
8	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.	1	0
		5	120
Total :		125	
Gift City Branch operations will commence in the FY 2025-26			

* LIC (International) BSC (c), Bahrain company operates in GCC (Gulf cooperation council) countries of Bahrain, Kuwait, Qatar and UAE (Dubai & Abu Dhabi)

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States/UT)	36 (28 states and 8 UTs in India)
International (No. of Countries)	11

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

c. A brief on types of customers

Life Insurance is the primary business of the Corporation. We cater to a wide variety of customers across different segments. Based on various factors like demographics, needs, financial goals etc, the customers can be broadly categorized into the following groups:

- i. Individuals with regular income looking for life cover, tax benefits, savings, etc and who prefer endowment, money back and term plans.
- ii. Self-employed business owners who are interested in wealth creation with risk cover, seeking flexible premium options with a preference for ULIPs and pension plans.
- iii. Minors, students and young professionals: They are mostly covered by term or simple endowment plans and look for low premium.
- iv. Senior citizens: They look towards pension plans and seek guaranteed income and long term security.
- v. Group customers: They include Corporate clients, Government organisations, Associations, NGOs, etc. Group term life, gratuity, superannuation, leave encashment, etc are the types of schemes sought.
- vi. NRI Customers: They take life insurance for family security in India, prefer long term savings or term plans and see us as a secure and trusted brand.
- vii. Rural and social sector customers: We have focussed products under government mandates like PMJJBY, etc wherein affordable insurance is given for low income groups and tailored policies for farmers, labourers, etc.
- viii. High net worth individuals: A distinct group and seek investment oriented plans like ULIPs, wealth plans or pension schemes with large coverage.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year 2024-25:

a. Employees and workers (including differently abled):

Employees					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (D)	91606	69740	76.13	21866	23.87
Other Than Permanent (E)	14	13	92.85	1	7.15
Total Employees (D+E)	91620	69753	76.13	21867	23.87
workers					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (F)	Not Applicable				
Other Than Permanent (G)					
Total Employees (F+G)					

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	884	715	80.88	169	19.12
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	884	715	80.88	169	19.12
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	Not Applicable				
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No.(B)	%(B/A)
Board of Directors	14	1	7.14
Key Management Personnel / Key Management Persons (KMP)*	13	1	7.69

*KMPs includes five Whole Time Directors

22. Turnover rate for permanent employees and workers: (Disclose trends for past 3 years)

Turnover rate for permanent employees									
	FY 2024-25			FY 2023-24			FY 2022-23		
	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
Permanent Employees	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50

Note:

- There is no class of employees termed as "Workers" in the Corporation.
- The turnover rates include Superannuation numbers, as well.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. Names of Holding/Subsidiary /Associate Companies/Joint Ventures

Sl. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint ventures Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
International				
1	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.	Subsidiary	100%	No
2	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)	Subsidiary	99.66%	No
3	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	Subsidiary	55%	No
4	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	Subsidiary	93.75%	No
5	Life Insurance Corporation of Bangladesh Limited	Subsidiary	83.33%	No

Sl. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint ventures Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
National				
1	LIC Pension Fund Limited	Subsidiary	100	No
2	LIC Cards Services Limited	Subsidiary	100	No
3	IDBI Bank Limited	Associate	49.24	No
4	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited	Associate	49.00	No
5	LIC Housing Finance Limited	Associate	45.24	No
6	LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Associate	44.61	No
7	IDBI Trusteeship Services Limited	Associate	29.84	No
8	LIC HFL Asset Management Company Limited	Associate	5.38	No

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

- No. CSR is not applicable as per section 135 of Companies Act, 2013

Life Insurance Corporation of India was established by the LIC Act 1956, enacted by the Parliament to nationalize the life insurance industry in India. As such, LIC is not a company governed by the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956.

However, LIC has been voluntarily carrying out various community development activities. LIC Golden Jubilee Foundation, a Charitable Trust registered with Charity Commissioner under the Bombay Public Trust Act, 1950, was formed in the year 2006, during the golden jubilee year of LIC. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other Project of general public utility.

(ii) Turnover (in ₹) - 488848.92 crores

(iii) Net Worth (in ₹) - 126187.74 crores

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the Principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC):

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2024-25			FY 2023-24		
		Current Financial Year			Previous Financial Year		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Investors (other than share-holders)	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Share-holders	Yes, The Corporation has appointed KFin technologies Ltd. as Registrar and Share transfer Agent (RTA) of the Corporation to aid help to resolve grievances and queries pertaining to shareholder Services. The Corporation has a designated e-mail id (investors@licindia.com) and also a portal for shareholders to enable them to raise grievances. Link for investor support: https://licindia.in/investors-support	1671	1	The lone query pending as on 31.3.25 was resolved on 01.04.25	2278	24	The 24 complaints pending at the end of FY 2024-25 were resolved and disposed of by 02.04.25
Employees	Yes, the Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievances. For this purpose a portal on the intranet called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which is forwarded to the Staff Grievance Officer.	369	12	NIL	518	29	In FY 2024-25 all 29 were resolved
Customers	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	74,290	NIL		81,202	NIL	
Communities	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Value Chain Partners	Yes. Value chain partners can report their grievances, if any, to the nearest office and through other digital modes.	NIL	NIL		NIL	NIL	
Others-Ministry	Compliance to Ministry through Emails	168	1	Follow up in process	102	2	In FY 2024-25 both were resolved

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Regulatory and Compliance environment	Risk and Opportunity	Regulatory compliance is an integral part of LIC's work ethics. Failure to adhere to any applicable laws in a timely manner can lead to potential legal action, reputational damage or even financial losses. LIC, being a listed company strives to be compliant to all the applicable laws and regulations. By adopting to standards as laid down we believe that we will be able to protect the interest of all our stakeholders. We ensure that all our rules and regulations affecting all our stakeholders are within the legal and regulatory frameworks. As a public sector institution, we are also bound by RTI guidelines which act as an additional layer of scrutiny.	LIC has a well-established system to ensure regulatory compliance which ensures adherence to various regulatory requirements	Financial implications of not addressing the risks identified can include penalties arising from regulators or other legal forums while addressing customer grievances. Losses can also arise from New Business front due to negative customer sentiments. Adherence to regulatory guidelines can enhance customer satisfaction there by increasing our customer loyalty which in turn can increase our persistency and inflow of new customers.
2	Human Capital Development	Risk and Opportunity	Opportunity: As a key player in a financial service industry, our human capital is a major source of strength and competitive advantage. Continuous up-skilling will enable us to strengthen our leadership position and combat all challenges facing the industry in a better way.	LIC is a mammoth trans-national Corporation with approximately one lakh employees. On account of the size and geographical spread as well as keeping with the personnel policies there is continuous vertical and lateral movement in the organisation. All these factors necessitate that there has to be a continuous process of skill development and upscaling the knowledge base within the organisation.	High employee turnover may lead to decrease in productivity, increase in hiring cost and low employee morale as well as efficiency, in general.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
			Risk: In the current competitive scenario and rapidly changing marketing conditions, it is a challenge to retain key talent.	The pandemic situation necessitated and propelled the organisation to move towards self-learning through digital mode. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on our intranet. The current focus has been to make communication and collaboration easily available as part of the new work experience. Further, with the aim of self-learning/ self-skilling, a Learning Management System, 'LIC Gyanpeeth' was introduced for employees.	
3	Climate change – Risk and Resilience	Risk	1. Climate change has a significant effect on life in general. Evolution of life on earth has been a gradual process and not attuned to the drastic speed of change being witnessed now. This can lead to the development of new risks in the form of natural disasters, viruses, bacteria, etc., which will affect morbidity as well as mortality. 2. Insurance industry may expect variations in the assumptions of mortality and morbidity with any negative variation having consequences in terms of higher claim outgoes.	The approach to the same is to find ways and means to anticipate the changes that are coming and take corrective steps to reduce their business and environmental impact for the organisation. Towards mitigating climate change, we continuously focus on optimizing the consumption of scarce resources and thereby reducing the carbon foot print as well as distributing the resources to the populace at large.	1. Higher frequency and severity of such changes will lead to increased expenses towards claims as well as manpower too. 2. Insurers may need to change their tables governing mortality, morbidity, etc and adapt to meet the changing scenario. 3. Reinsurance costs for life insurance companies may increase. 4. Investment in industries exposed to such risks will lead to change in strategy to avoid financial impact of the same.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4	Information security and data privacy related	Risk	We have the highest number of life insurance policies with the resultant access to personal information. With digital access and information gathered increasing at a humongous rate, the risk of information leakage increases concurrently. Cyber security needs to ensure data privacy and enable sustainable business practice. We have a robust policy for data security. We have inbuilt teams and processes for monitoring any leakage and maintaining data security. Monitoring of data breaches is thus done on a continuous and real time basis for the website, devices and other domains	We hold that data security is of paramount importance and customer privacy is sacrosanct. Any instances of data loss, breach or unaccounted access can affect customer confidence leading to customer attrition thus affecting financial performance. The resultant negative publicity emanating from the same can damage the Corporation's reputation which needs to be protected throughout.	Financial and reputational loss can be damaging and needs to be prevented.
5	Risk Management and Business Continuity	Risk	We have a robust Business Continuity Plan to meet different scenarios. This is to enable quick response in the case of the happening of any unforeseen event or challenges. Its purpose is to act as a shield to protect assets, smoothen and ensure least disruption as well as shorten the recovery time.	The Corporation has a Board approved Business Continuity Plan with inputs from all departments regarding their respective action plans. Risk Registers are maintained and reviewed periodically to enable robust risk management. In case of any major or minor incidents, well drawn out procedures are defined for implementation to mitigate or nullify the potential or actual impact. ISO 22301 certification has been received for the Business Continuity Plan	Negative

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . Some of the policies of the Corporation are offered to employees only and are available on the intranet site of the Corporation.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes /No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Our value chain partners are contractually obliged to comply with requirements pertaining to safety and healthy environment, prohibition of child labor and forced labor, non-discrimination, employment condition, provision of wages and working hours.								
4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Under Principle 4 , LIC has obtained: ISO 31000 for ERM ISO 22301 for BCP								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any	a. We are committed to incorporating ESG principles in our business activities. b. We are committed to conserving water, reducing energy use and reduce our carbon footprint as well as GHG emissions. c. We are an equal opportunity employer ensuring no discrimination on any grounds whatsoever. d. Spread life insurance widely and in particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes with a view to reaching all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost. e. Maximise mobilization of savings by making insurance linked savings adequately attractive. f. In investment of funds, the primary obligation to its policyholders, whose money it holds in trust, without losing sight of the interest of the community as a whole; funds to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole, keeping in view national priorities and obligations of attractive return.								

	g. Conduct business with utmost economy and with the full realization that the moneys belong to the policyholders. h. Act as trustees of the insured public in their individual and collective capacities. i. Meet the various life insurance needs of the community that would arise in the changing social and economic environment. j. Involve all people working in the Corporation to the best of their capability in furthering the interests of the insured public by providing efficient service with courtesy. k. Promote amongst all agents and employees of the Corporation a sense of participation, pride and job satisfaction through discharge of their duties with dedication towards achievement of Corporate Objective.
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	a. We have settled 8,48,123 individual death claims and 2,16,69,980 individual maturity claims with an outgo of 24,420 crores INR and 2.37 lakh crores INR respectively thus providing financial security to dependent families, creditors, partners and key men in case of business insurance. b. We cover 3,13,80,682 lives under the PMJJBY as on 31.03.2025. We have designed other micro insurance products to cater to weaker segments of society. c. Hereditary commission is paid to dependents of over 40000+ agents who have expired and were eligible for renewal commission. d. To provide an impetus to insurance cover in the rural areas we have provided employment opportunities and appointed 1,48,888 ladies as Bima Sakhis as on 31.03.2025. e. Our new Jaipur Office is IGBC and LEED-certified building with efficient lighting (LED), HVAC, daylight optimization and low-emission materials.
Governance, leadership and oversight	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Board has overall responsibility regarding business responsibility report and to identify and manage ESG issues of the corporation
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies)	Shri Siddhartha Mohanty CEO & MD DIN:08058830 (As on 31.03.2025)

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes. The Board has constituted an ESG Committee and has coopted external experts as well. The Board has overall responsibility of Corporation's Governance and Sustainability practices. The Board in exercise of both the letter and spirit of its ESG Mission has brought in external guidance to establish a robust cohesive mechanism. A research report by Deloitte was commissioned. Stringent targets have been set up for the coming year for continuous improvement. The Board has also constituted an internal ESG Committee. The Committee approves and ratifies ESG goals, targets, strategy, monitors performance including ESG initiatives to ensure long-term value creation for stakeholders and periodically reviews ESG activities of the Corporation.
10. Details of Review of NGRBCs by the Company	
Performance against above policies and follow up action	The Board/ Committee of Board/ Senior Management of the Corporation have approved the policies that have been stated above as required by extant regulations.
Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee	Review done inter-departmentally
Frequency (Annually/ Half-yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	Half Yearly
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances	The Corporation complies with all applicable regulations.
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	All policies of the Corporation are evaluated internally

12. If answer to question (1) above is 'No' i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	No	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
Any other reason (please specify)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**As a listed entity, LIC operates in a highly regulated environment. Further, the Corporation upholds the highest standards of responsible business conduct as prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Corporation also regularly participates in various forums and committees constituted by said regulatory Authorities. While there is no specific policy outlined for this principle, the Staff Regulations, 1960, governs all employees, officers and Directors who are required to act in accordance with high professional and ethical standards. The Corporation, through trade bodies and associations, puts forth a number of suggestions with respect to the economy and the insurance sector in particular.

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE:

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as 'Essential' and 'Leadership'. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programs on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	*3	Directors' Certification in ESG Leadership Program @ IICA	57.14%
Key Managerial Personnel	8	1) Masterclass for Nominee Directors 2) Governance Leadership Program on Effective Boards & Future Ready Directors 3) 41st India Fellowship Seminar 4) Training Program on IFRS-17 5) 24th Global Conference of Actuaries 6) Business Class of Excellence (Foreign Training) 7) National convention of company secretaries 8) Training program on AML/CFT for Principal Officers	42.85%
Employees other than BoD and KMPs	4,076	Training Sessions were held for various groups of employees on wide-ranging topics like: Public Procurement, RTI Act, GeM, Cyber Hygiene and Security, Preventive Vigilance and Forensics, Ethics and Governance, BCP, Enterprise Risk Management, Leadership Development Program, Train the Trainers, Growth and mindset Management, Strategic Leadership, Customer Service Sensitization, IRDAI Regulations, Regulatory Compliance Management, KYC/ AML /CFT, Reservation & Welfare Matters, POSH, Health & Safety, ESG, Litigation Management in GST, Retiring Officials, Financial Literacy Program through NSE, IFRS-17, LIC Act, LIC Products, Social Media, Business Etiquettes, Telephone and Email Etiquettes.	83.75%

* Two (2) Programs were attended by Independent Directors and 1 Program was attended by All MDs.
Training Activities are carried out through In-House Training Centres and External Training Institutes.

In-house Training:

LIC has a network of well-equipped In-House Training Centres. All Centres are well equipped with hostel accommodations, classrooms, auditoriums, computer labs, LCD facilities, recreational and sports amenities. LIC's In-House Training Centres includes:

- Management Development Centre (MDC): The apex Training Institution of the Corporation.
- Zonal Training Centres (ZTCs): One located in each of LIC's eight Zones.
- Employee Training Centre (ETC)/Computer Training Centre (CTC): 113. One in each Division

External Training:

To offer innovative perspectives, acquire specialized industry knowledge and align with global HR practices, LIC nominates its officials to participate in a wide range of External Training Programs. These are conducted by renowned Institutions such as National Insurance Academy NIA (Pune), Indian Institutes of Management – IIMs, Indian School of Business – ISB (Hyderabad), Institute of Directors – IOD (Mumbai), Institute of Risk Management – IRM (Mumbai), Institute of Actuaries of India – IAI (Mumbai), Administrative Staff College of India – ASCI (Hyderabad), National Law School of India University – NLSIU (Bengaluru), College of Insurance – COI (Mumbai), National Academy of Human Resource Development – NAHRD (New Delhi), Indian Institute of Corporate Affairs – IICA, Institute of Secretariat Training and Management –ISTM (New Delhi), Life Transformation Academy, FIMMDA (Mumbai and many others).

The number of participants trained in various sessions conducted in-house by MDC and other training institutions number 1,15,911. The participants trained in external training institutes including NIA numbered 6,406. Thus 1,22,317 participants were trained with some having attended multiple training sessions on different subjects and on change of roles during the same period. Also during the financial year 2024-25, for fire drill the number of employees covered were 65,794 and 10,921 employees were trained on other modules. A total of 76,715 employees were thus covered out of 91,606 employees.

Short duration Webinars:

To cover large number of employees and field force, a series of short-duration Webinars were organized through External Training Institutes and also our In-House Training Centres. These webinars covered a range of topics, including POSH, Raising awareness and sensitizing employees on dealing with Persons with Disabilities, New Products, NB Underwriting, CRM Complaints Redressal, Growth Oriented Incentive Bonus (GOIB) Scheme, LIC Profile, Ananda, Unit Linked Insurance Plans, Digital Initiatives, Employee Benefits, New Plans and Changes, Road Map for Million Dollar Round Table (MDRT), Business Persistency & Revival, Claim Reinvestment, etc.

LIC Gyanpeeth–Self Learning Management System Module:

- LIC Gyanpeeth is a self-learning and self-skilling digital platform. It provides standardized content that eliminates the need for physical infrastructure and facilitators, making training accessible to employees anytime, anywhere, via intranet/ internet web browsers.
- LIC Gyanpeeth, is specifically designed to ensure uninterrupted training on various functional aspects. Continuous efforts are being made to enhance and update the portal. As on 31st March 2025, the portal contains 17 main modules, 142 sub-modules with 6,616 MCQs.
- 'LIC Gyanpeeth' has received an overwhelming response from employees, with approximately 77,233 (85.79%) employees earning a total of 20,43,124 LIC Gyanpeeth Certificates.
- Number of main module certificates issued under Gyanpeeth module was 2,38,165 and the number of sub modules for which certificates were issued numbered 18,04,959, together totaling 20,43,124 certificates being thus issued.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In ₹)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	NIL	Revenue authorities like IT, GST, etc	0.03 crore	Delay in filing returns of Professional Tax, IT Penalty awarded by Government/Court.	No
Settlement	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Compounding fee	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	NIL	NIL	NIL	NIL	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	

Note: During FY 2024-25, the Corporation has received 35 orders from GST authorities, filed appeal against 19 orders with GST Appellate Authority. Filing of 11 appeals, payment of 2 Orders and filing of 3 application for rectification of order are under process. Details of GST orders have been filed with stock exchanges under Regulation 30 of SEBI Listing Regulation.

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal /Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.-

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	NIL

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Corporation has an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy. It also has a Whistle Blower policy. Additionally, as per Rule 32 of LIC of India (Staff) Rules, 1960, no employee or any member of the family of the employee is allowed to accept gifts of more than a trifling value. The link for anti-bribery and anti-corruption policy is as under:

(<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->)

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	1	NIL

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2024-25		FY 2023-24	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	NA	Nil	NA
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	NA	Nil	NA

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines /penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Proceedings are underway in the lone case registered.

8. Days of accounts payable: ((Accounts payable*365)/Cost of goods/services procured):

	FY -2024-2025	FY -2023-2024
Number of days of accounts payable	12.12	11.85

9. Openness of business:

Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Secondary market comprises of stock exchanges which provide platform for purchases and sales of securities by investors. The trading platforms of stock exchanges are accessible only through brokers and trading of securities is confined only to stock exchanges. Hence LIC does secondary market trading through brokers only. Details are as follows.-

Parameter	Metrics	Current FY 2024-2025	Previous FY 2023-2024®
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading brokers as % of total purchases	16.64 % secondary market trading	14.86% secondary Market trading
	b. Number of brokers where purchases are made from	142	143

Parameter	Metrics	Current FY 2024-2025	Previous FY 2023-2024 [®]
	c. Purchases from top 10 trading brokers as % of total purchases from brokers	9.87%	9.13%
Concentration of Sales	a. Sales to brokers as % of total sales	12.96% secondary market trading	15.67% secondary Market trading
	b. Number of brokers thru whom sales are made	142	143
	c. Sales to top 10 brokers as % of Total sales to brokers	9.54%	9.52%
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)*	1.54%	2.00%
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)**	1.89%	0.18%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans & advances)	NA	NA
	d. Investments (Investments in related parties/Total Investments made)	NA	NA

[®]Previous year's figure have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable.

*RPT - Includes all types of purchases and application money

** RPT - Includes all types of sales, redemptions and refunds

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programme
2135 Sessions	Training of value chain partners (specified persons) by Marketing Channels Product Training, Life Insurance Market in India, Potential and Future Opportunities, Identify Needs-Why life insurance? Positioning of Bank Products and Insurance Products and Insurance Policies Vs Bank FDS. Additionally as per requirements of value chain partners trainings are provided.	9.9%**
41 Sessions	Swachhata hi Seva, Swachhata Campaign, Fire drill, Plantation, Statutory Compliance, Swachhata Awareness, Swachhata Pledge, POSH, Fire & Safety Awareness, PF, ESI, Naturopathy, Cleaning & Sanitation, Health care and Precaution, Sexual harassment and Discrimination/Remedies.	49.75%

**During the year 2024-25, 35 Banks, 42 Other Corporate Agents, 115 Brokers and 86 IMFs only contributed to the Business

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? **(Yes/No)**
If yes, provide details of the same.
 - Yes, Processes are in place. Disclosure of interest as well as declaration on Directors' independence is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board. To avoid conflict of interests, Directors recuse themselves from participation in any Agenda Item(s) wherever they are deemed interested and is being discussed in a meeting.

PRINCIPLE 2 Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

R&D mainly focuses on product development, monitoring, modifying, closing as well as introducing newer versions with emphasis on its environmental and social impact too. Customer experience and satisfaction continue to be the bedrock on which initiatives in this aspect are worked out including diminishing the usage of paper across the Board.

Capital expenditure is incurred on replacing old energy inefficient appliances like ACs, light bulbs, lifts, etc with modern energy efficient equipment, Installation of solar equipment for leveraging renewable energy, Rain water harvesting to boost water conservation, etc. Its impact is felt in increased energy efficiency, harnessing recyclable resource like sunlight and conservation of water.

2. **a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**
b. If yes, what percentage of inputs was sourced sustainably?

➤ Yes.

As a part of the Insurance industry, our operations primarily revolve around digital solutions. While our procedures do not directly mirror those of traditional manufacturing, we try to follow guidelines and practices that promote ethical

and sustainable sourcing of technology-related inputs. Given the nature of our operations, traditional measures of sustainable sourcing and identifying percentage are not directly applicable. However, we actively participate in broader organisational initiatives to enhance sustainability.

While our operations differ from manufacturing, we strive to adopt guidelines and practices that promote ethical and sustainable sourcing of technology-related resources. We have a procurement policy for the corporation which complies with CVC guidelines, promoting transparency, improving competition, ensuring equity among participants and encouraging 'Make in India'. All procurements are processed through electronic mode by inviting tenders through online channels only eliminating the requirement of physical documents.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a)Plastics (including packaging) (b)E-waste (c)Hazardous waste and (d) other waste

As the Corporation is in the Business of Insurance, there is limited scope for using recycled material. Insurance products per se, are intangible. However, our offices are encouraged to recycle e-waste. Servers, computers, cartridges, ribbons are the primary e-waste generated which is disposed through authorized vendors, who pick up the hardware e-waste from all locations after dismantling/degaussing. Re-cycling certificates are also obtained. For collection and disposal of e-waste and electrical waste, safe disposal collection boxes are kept at various offices. The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all locations. A prescribed certificate is taken from the e-waste disposal vendor.

The Corporation has taken up new initiatives in order to minimize use of paper in our offices by digitizing of operations, thus reducing paper usage. Minimizing the use of single use plastic folders/bottles, replacing plastic folders with paper folders, plastic pots for plants with earthen pots, supply of paper pens in some offices, once the refill is over, these pens with seeds at the reverse, can be planted to grow plants. Replacing disposable cups by stainless steel coffee/tea mugs for employees in some offices.

4 Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes/No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Extended Producer Responsibility (EPR) in the traditional sense is not applicable to us, as our activities are not directly associated with the production of physical goods.

However, to ensure alignment with environmental sustainability, we collaborate with certified e-waste disposal partners to ensure that our electronic waste is managed in an environmentally friendly manner.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

Being in the services industry, life cycle assessment as in general parlance is not applicable to life insurance contracts. However, from the angle of product development, periodic evaluation or valuation is a norm. Every plan introduced has certain projections made across various parameters like mortality, morbidity, interest rates, administrative costs, etc. During the course of time, whenever it is felt that the assumptions made therein and the actual results emanating from the field are having a variance beyond the ranges provided for in different scenarios, corrective action is initiated. It may take the form of changes in the parameters governing the same at one end to withdrawal of the plan at the other and coming forth with a revised one, if required.

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same

From the nature of the business as well as it being monitored on a regular basis, no significant social or environmental concerns or risks evolve from the same.

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Recycled or reused material is not applicable as life insurance being an intangible product does not partake in such processes.

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled and safely disposed:

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

PRINCIPLE 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	%(D/A)	Number (E)	%(E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent employees											
Male	69740	69740	100	69740	100			69740	100	NIL	NIL
Female	21866	21866	100	21866	100	21866	100			NIL	NIL
Total	91606	91606	100	91606	100	21866	100	69740	100	NIL	NIL
Other than Permanent Employees											
Male	13	3	23.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
Total	14	3	21.43	0	0	1	100	0	0	0	0

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	% workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	%(D/A)	Number (E)	%(E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent Workers											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											
Other than Permanent Workers											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

- c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	FY 2024-25	FY 2023-24
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the Corporation	(i) Group Personnel Accident Benefit – 0.001934% (ii) Mediclaim – 0.0931228% (iii) High Cost Protracted Treatment – 0.000156% (iv) Preventive Health Check-up – 0.002841%	(i) Group Personnel Accident Benefit – 0.0008% (ii) Mediclaim – 0.03421% (iii) Group Insurance – 0.00574% (iv) High Cost Protracted Treatment – 0.00012% (v) Preventive Health Check-up – 0.0007%

These figures are exclusive of 18% GST

2. Details of retirement benefits, for Current Financial Year and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF(*)/ Pension	100% - All eligible employees are covered	No category of worker/s in the organisation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.	69.44%	No category of worker/s in the organisation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.
NPS	100% - All eligible employees are covered		Yes	**		Yes
Gratuity	100%		The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.	100%		The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.
ESI	Not Applicable		Not Applicable			
Others – please Specify(#)	100%		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.	100%	-	All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.

(*) Employees who are appointed in the services of the Corporation on and after 01.04.2010 are governed by National Pension System and are not covered under LIC of India Provident Fund Rules No. 1 and vice-versa.

(**) In 2023-24, 30.56% employees were covered under NPS.

(#) Employees / Officers retiring from the services of the Corporation are entitled to various post-retirement benefits which are inclusive of Encashment of Privilege leave, Group Insurance Scheme, Group Medclaim Scheme, Accumulation of Group Savings Linked Insurance Scheme and Pension benefits as applicable.

3. Accessibility of work places:

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc. to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes, The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the rules framed thereunder. It is committed towards the empowerment of persons with disabilities. The link for Equal Opportunity Policy is as under:

<https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent Employees		Permanent Worker	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	Not Applicable	
Female	100%	100%		
Total	100%	100%		

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

Permanent Workers	Not Applicable
Other than permanent workers	Not Applicable
Permanent Employees	Yes. We have an Employee grievance redressal portal called e-Samadhan. Complaints are forwarded on-line to Staff Grievance Officer. There is provision for appeal to next higher authority. Complaint resolution time is 90 days. There are also Internal Complaints Committees at Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices handling grievances pertaining to Sexual Harassment according to the provisions mentioned in The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
Other than Permanent Employees	Yes. All mechanisms for permanent employees are also available to other than permanent employees.

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

7. Membership of employees/workers in association(s)/Unions recognized by the listed entity:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total employees / workers in respective category	No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union	% (B / A)	Total employees/ workers in respective category	No. of employees / workers in respective category, who are part of associations or Union	% (D/C)
	(A)	(B)	% (B / A)	(C)	(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	91,606	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA	98,661	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA
- Male	69,740		NA	75,411		NA
- Female	21,866		NA	23,250		NA
Total Permanent Workers	Not Applicable					
- Male						
- Female						

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2024-25					FY 2023-24				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Employees										
Male	69,740	*	*	46,081	66.07%	75,411	*	*	66,362	88.00%
Female	21,866	*	*	15,196	69.50%	23,250	*	*	21,012	90.37%
Total	91,606	*	*	61,277	66.89%	98,661	*	*	87,374	88.55%

**There is no class of Employees as “Workers”.

*It is ensured that ‘Yoga & Health’ Session are included in all our In-House Training Programmes. An Exclusive Yoga Session was organized at LIC Central Office to celebrate International Yoga Day. Employee Engagement Program (EEP), for a day and a half, was conducted by all 113 Divisions. This program targeted 33% of employees (27342), ranging from Record Clerks to Administrative Officers across all offices nationwide. Session on ‘Health & Wellness’ was a part of EEP. The Program aimed to enhance employees’ satisfaction and foster a sense of empowerment, engagement, encouragement, and alignment with the Organisation’s Vision and Goals.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Details of performance and career development reviews of employees						
Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No.(D)	% (D/C)
Employees						
Male	69,740	69,740	100	75,411	75,411	100
Female	21,866	21,866	100	23,250	23,250	100
Total	91,606	91,606	100	98,661	98,661	100

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? **(Yes/ No)**. If yes, the coverage such system?

Yes. The Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and its property. This includes policy for fire safety, Standard operating procedures for fire safety, which covers rules pertaining to fire-fighting equipment, Fire drills, formation of fire safety committees in all our offices, periodical check on electric and fire safety parameters, etc., are conducted wherever required. Also, restrictive access to core Departments has been taken up. We have SOP's on security and fire safety measures with defined roles to be followed by each employee in case of any incidence. Drills are conducted regularly so that the employees respond swiftly and efficiently and have clear understanding of the procedures. Employees are covered under Group Insurance, Group term insurance and 24 Hours Group Personal Accident Policy. In addition to the above, the employees are covered under Group Medclaim Scheme where employees and their families are covered for hospitalization, with an option to take additional cover for themselves and their families. Preventive Health check-up scheme and scheme of ex-gratia reimbursement of Medical Expenses in case of High cost treatment are also other benefits for the employees.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Not applicable since we are a financial services entity.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) **Not applicable**

- d. Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and health care services? (Y/N)

Yes. All employees are covered under health insurance and accident policy. The Corporation has well-defined medical and healthcare policies. Group term insurance cover and Personal Accident insurance cover are applicable for all employees. Initiatives like health checkup, yoga, eye checkup, bone density, etc and talks by specialists to educate and enable healthier and happier lifestyle are held.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per 1 million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

Security Guards and Watchmen are appointed for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at the entrances of various offices. CCTV cameras have been installed in offices in sensitive departments of the Corporation. Fire safety Committees are constituted in all the offices, training imparted on a regular basis and evacuation drills are conducted. Standard operating procedures for Fire Safety are laid down. Every employee of the Corporation gives their rating, in the Monthly Ambience Poll, where the ratings are based on various parameters of cleanliness in the offices. Model DO & Model BO competitions are floated to encourage cleanliness and record maintenance. Activities including regular pest control services, cleaning of office premises and surrounding areas, disposal of scrap, identification and proper use of vacant spaces, plantation of saplings, rain water harvesting, installation of ramps and railings for the differently abled, installation of solar panels, etc. are being done to ensure safe and hygienic work place. As on date most of our offices are using LED lighting.

We have sensitized all our employees about the prevalent policy against Sexual Harassment at the work place as well as the mechanism and the process is being followed for the redressal of complaints related to Sexual Harassment at work place.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health & Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Inspection of all our offices is done by our inspection teams every year
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

To address safety related incidents, installation of baggage scanner machines and fire extinguishers and training by Security Officers is provided for security guards.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N):-

Employees: Yes. The Corporation extends benefits in the form of support to families in the event of an employee’s death as under:

1. Group Insurance -2004 if opted
2. Group Term Insurance which is paid to nominee / legal heirs. This is especially provided to protect the loss of commutation of pension, had the employee continued in the services of the Corporation till the date of his superannuation.
3. Risk and Savings Portion of Group Savings Linked Insurance
4. 24 hours Group Personal Accident cover in case death of the employee occurs due to accident.
5. Gratuity is paid even if the employee had not completed five years of continuous service with the Corporation. In addition, gratuity is calculated as per LIC of India (Staff) Rules, 1960 and also as per Gratuity Act, 1972 and the higher is paid to the family members of the deceased employee. Lump sum in lieu of PL Encashment
6. Additional Gratuity is also paid if applicable.
7. Family Pension as applicable
8. Employees contribution towards Provident Fund
9. Corporation Contribution towards Provident Fund (for PF Optees)

An opportunity of employment is also extended to the spouse or age eligible child of the deceased employee on compassionate grounds.

Note: There is no class of employees as “Workers” in the corporation

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Corporation ensures that taxes as applicable to the transactions within the remit of the Corporation are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is reviewed as part of the internal and statutory audit. The Corporation expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability. This is also part of Service Level agreement executed with Channel Partners.

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2024-2025	FY 2023-2024	FY 2024-2025	FY 2023-2024
Employees	NIL	NIL	NIL	NIL
Workers	NA	NA	NA	NA

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)

Yes. All employees have been provided with various training platforms for continual learning throughout their career with the Corporation for excelling in their Managerial, Functional and Behavioural Skills through In-House Training Centres and External Training Institutes. Such continual trainings help employees to upskill and enhance their work performance. The Corporation also has a self-learning, self-assessment portal 'Gyanpeeth' which provides content covering various functions, rules / regulations of the Corporation. Senior Level Management is exposed to 'Master Class for Nominee Directors' conducted through Institute of Directors, Mumbai. Additionally, they are encouraged to complete an e-learning course offered by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) to refresh their foundational knowledge, roles and responsibilities of the Directors/Board and to improve the effectiveness while representing the Corporation as a Nominee Director on the Board of other Companies. Special training programs are organised for retiring employees to help them manage their finances and health, post retirement.

5. Details on assessment of value chain partners:

Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government/other statutory agencies and implementation is being ensured.

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and it is implicit that they are adhering to the applicable statutory health and safety practices with above average working conditions.
Working Conditions	It is ensured that workmen compensation policy is taken by the value chain partners. Also provision for safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms is ensured. Maintaining site hygienic conditions by providing proper washroom, portable water, etc., is enabled.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Not applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Life Insurance is the primary business of the Corporation. However financial planning solutions which are provided to individuals, provides the financial protection in case of exigencies like critical illnesses as well as Death. Along with the life cover, different insurance products cater to different needs of family and help individuals to secure family's financial future and achieve the long term financial goals.

Customers include individuals who are self-employed as well as salaried individuals and their dependents, key management persons, etc. Our life insurance products offers a protection to the family against untimely death of the bread winner, a protection cover for the loan taken in case of death, accident, critical illness, etc. It is also a tool for savings, investment and long term planning for child's education, marriage, etc. We also offer group insurance products to the organisations to cover the needs of managing gratuity, superannuation in addition to the life cover for their employees.

Based on the nature of our business of life insurance, our risks and opportunities revolve around Human Capital, responsible investing, Data Privacy & Security, access to Finance and Emerging Risks and Governance. Accordingly, our key stakeholders can be identified as Internal Stakeholders and External stakeholders. Internal stakeholders are our employees and agents whereas external stakeholders are those who contribute to our business directly or indirectly. Some of our key external stakeholders are: Investor and Shareholders, Customers (Policyholders), Government & Regulatory Bodies, Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC) and Distribution Channels.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Investor and Shareholders	No	As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases, Media Interactions, Interviews for Newspapers	Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges.	Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory Mechanisms.
Employees	No	Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board	Regularly	Information sharing, and addressing queries. Regular engagement on work progress in the department
Customers Policyholders whose policy is due for payment such as Survival Benefit, Maturity Benefit, etc, or beneficiaries in case of death claims	No	Intimation letters, SMS, LIC Digital app, WhatsApp Message & Emails in case of SB and maturity cases. Advertisement for Outstanding Claims and NEFT Updation.	Frequent or as and when required	To acquire new customers and provide services to existing ones; To intimate them about claim due and requirements to be submitted to enable processing of claims
Business Partners (CA/Broker/IMF/ CSC)	No	Email, SMS, meetings and through Website	Frequent or as and when required	Service existing business and scope for further expansion

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Government & Regulatory Bodies	No	Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls	As and when required	For Regulatory Compliance, inspections and in Grievance matters
Distribution Channels: Premium Points, Agents, CLIAS, COs, DSAs, Supervised Agents under CLIA/Cos	No	Multiple Channel of communication -Physical and Digital	Frequent or as and when required	To provide the services to existing policyholder and procurement of new business
Community	No	Newspaper, Advertisements, etc	On regular basis	Insurance awareness

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Board and its Committees receive periodic updates on diverse topics, including stakeholder feedback. For engaging with government and regulatory bodies, meetings, conferences, forums, and emails are utilized. Corporation responds to consultation papers from regulatory bodies within specified timelines. The Board has different Committees and each committee has a defined role and charter. We engage with customers regarding complaints, new initiatives, services, and products through surveys, SMS, call centers, advertisements, and social media. Customer analytics from surveys and feedback are used to derive insights, to enhance service offerings. Corporation values its employees and actively seeks their input on addressing grievances, concerns and ideas for reducing environmental impact and other matters.

Team of Investor Relations of the Corporation engages with the investors and market analysts. Key indicators of Analysts' Reports and feedback from Investors meet are placed to the Board of the Corporation. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as well as placed before the Board of the Corporation. ESG (Environment, Social & Governance) Committee of the Board reviews the ESG activities of the Corporation. Queries, if any, raised by the shareholders on economic, environmental and social topics are placed for discussion. Policyholder Protection, Grievance Redressal & Claims Monitoring Committee of the Board monitor the activities related to interest of the policyholders.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board which meets as and when required or at least twice a year. It is then placed before the Board of the Corporation. Queries, if any, raised on economic, environmental and social topics are placed for discussion. The Corporation has for long understood the significance and utility of feedback from customers who form our most significant stakeholder. Feedback is sought from all employees in the form of contribution to idea box for which certificates and awards are given for the best ideas selected and implemented. This approach bring to our attention matters dealing with the minutiae at the grassroot level to macro issues at the higher levels resulting in informed changes in product and servicing aspects.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

To address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholders, the Corporation has implemented several key initiatives aimed at improving access and financial inclusion:

Customized Product Offerings: Insurance products for low-income individuals, rural populations and other underserved groups have been developed. These products are designed to offer affordable premiums with simplified features to ensure ease of understanding and access. Specially designed plans are available for our micro-insurance policyholders. Convenient modes of payment, including weekly mode of payment is available. Micro-insurance policyholders are serviced through NGOs and tied-agents.

Technology-Driven Outreach: Utilizing mobile and digital platforms expands the reach to rural and remote areas where traditional banking infrastructure is limited. Corporation's mobile applications offer easy access to information and policy services, ensuring stakeholders can manage their policies remotely.

Collaboration with NGOs: We partner with non-governmental organisations (NGOs) that work directly with marginalized groups. This helps us reach vulnerable/marginalized stakeholder through trusted local networks, ensuring better engagement and trust-building.

Grievance Redressal: Corporation has established dedicated help lines and grievance redressal mechanisms for policyholders including marginalized stakeholder to voice concerns.

Training for Channel Partners: Corporation's Marketing Field force offers training to Channel Partners on how to engage with and serve vulnerable customers, ensuring that the front-line staff is equipped to address the unique challenges these stakeholders may face.

PRINCIPLE 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	%(B / A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	%(D / C)
Employees						
Permanent	91,606	33,371	36.43%	98,661	23,545	23.86%
Other than permanent	14	0	0	6	0	0
Total Employees	91,620	33,371	36.42%	98,667	23,545	23.86%
Workers**						
Permanent	NIL					
Other than permanent						
Total Workers						

** There is no class of Employees as "Workers" in the Corporation

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following Format:

Category	FY 2024-25					FY 2023-24				
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B /A)	No.(C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Permanent	91,606	NIL	NIL	91,606	100	98,661	NIL	NIL	98,661	100
Male	69,740	NIL	NIL	69,740	100	75,411	NIL	NIL	75,411	100
Female	21,866	NIL	NIL	21,866	100	23,250	NIL	NIL	23,250	100
Other than Permanent	14	NIL	NIL	14	100	6	NIL	NIL	6	100
Male	13	NIL	NIL	13	100	5	NIL	NIL	5	100
Female	1	NIL	NIL	1	100	1	NIL	NIL	1	100

Category	FY 2024-25				FY 2023-24					
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B / A)	No.(C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Workers**										
Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

Not Applicable

** There is no class of Employees as "Workers" in the Corporation

3. Details of remuneration/salary/wages:

a. Median remuneration / wages:

FY 2024-25	Male		Female	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category
Board of Directors (BoD)*	5	96,62,416.46	0	NA
Key Managerial Personnel (KMP)*	7	49,58,139	1	46,13,856
Employees other than BoD and KMP	69746	20,53,509.18	21866	22,32,574.94

*Details of remuneration submitted include that of only CEO&MD and Managing Directors of the Corporation. Further, it is submitted that pursuant to the Board approved policy on Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity('Board Policy') the independent directors of the Corporation are eligible to receive sitting fees whereas Government Nominee Director is not eligible to receive any remuneration/sitting fees.

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Gross wages paid to females as % of total wages	24.48%	24.19%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Executive Director (Personnel) is responsible for the human resources administration and the management shall oversee and address any issue arising from any human rights impact related to employees.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Corporation has an internal mechanism system for redressal of grievance. Grievances can be registered by any employee on a portal on the intranet site called e-Samadhan. These will be forwarded online to the Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to the next higher authority through the portal. In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013, the department has initiated various steps to create a conducive workspace. An Internal Complaints Committee has been constituted in all the offices of the Corporation. The female employees of the Corporation are at par with the male employees.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Current FY 2024-2025			Previous FY 2023-2024		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Sexual Harassment	9	2(\$)	NIL	14	2(*)	
Discrimination at workplace	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Child Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Forced Labour/Involuntary Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Wages	Equality in wage structure					
Other human rights related issues	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(*)Both complaints were closed in Financial Year 2024-2025

(\$)Both complaints are closed in Current Financial Year 2025-2026

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	9	14
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.041%	0.060%
Complaints on POSH upheld	2	NIL

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Corporation has laid down a detailed Whistle Blower process, including mechanism to prevent adverse consequences to the complainant. The whistle blower is entitled for:

- The Corporation shall ensure that no whistle blower who has made a disclosure under this Policy is victimized by initiation of any proceedings or otherwise merely on the ground that such complainant had made a disclosure or rendered assistance in investigation under this Policy.
- Wherever the Whistleblower has alleged victimization/harassment, the Vigilance Officer ensures that if the identity becomes known eventually he/she should not be harassed/ victimized by way of frequent transfers, etc.
- In case a Whistleblower seeks protection and reports that his life is in danger, the Vigilance Officer will examine the matter and send his recommendation to the Chairperson to take up the matter with the Nodal Officers of respective States/UTs appointed by the Ministry of Home Affairs/State Governments for the purpose of providing security cover to the Whistleblowers.
- The identity of the Whistleblower shall be kept confidential unless warranted for evidence in the Court/Disciplinary Proceedings.

Additionally, during the pendency of the inquiry, the Corporation can transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace or grant leave up to a period of three months or any other such relief. Further, the respondent may be restrained from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, wherever applicable.

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	NIL
Forced/involuntary labour	NIL
Sexual harassment	NIL
Discrimination at workplace	NIL
Wages	NIL
Others—please specify	NIL

The Corporation is in compliance with all applicable laws on the subjects mentioned in the table.

11. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Nil, not applicable

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

The Corporation is of the belief that it has upheld the basic principles of human rights in all its dealings. This is in alignment with its Human Rights Statement. The Corporation regularly sensitizes its employees through various training programmes. Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any breach/violation in any policy or process, or report any act which is in contravention of the rules and regulations governed by the Corporation including the Prevention of Sexual Harassment at the workplace policy, Anti bribery and Anti-Corruption Policy, Anti Money Laundering Policy, Whistle Blower Policy, Anti-Fraud Policy, Information and Cyber Security Policy or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any other statutory or regulatory laws as may be in force.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

Internal audit is conducted for the governance process of the Corporation

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc. to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Details on assessment of value chain partners:

No such assessment is done

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	Nil
Discrimination at work place	Nil
Child labour	Nil
Forced labour/Involuntary labour	Nil
Wages	Nil
Others- please specify	Nil

5. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

No, not applicable.

We incorporate the relevant matrix in our new and existing contracts with our value-chain partners.

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
From Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (A)		
Total Fuel Consumption (B)		
Energy Consumption through other Sources (C) Solar	18307 GJ	30596 GJ
Total Energy Consumed from Renewable Sources (A+B+C)	18307 GJ	30596 GJ
From Non-Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (D)	422858 GJ	329308 GJ
Total Fuel Consumption (E)	390283 GJ	394649 GJ
Energy Consumption through other Sources (F)		
Total Energy Consumed from Non-Renewable Sources (D+E+F)	813141 GJ	723957 GJ
Total Energy Consumed (A+B+C+D+E+F)	831448 GJ	754553 GJ
Energy Intensity per Rupee of Turnover (Total Energy Consumed/Revenue from Operations) (GJ/INR crores)	1.70	0.85
Energy Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Energy Consumed/Revenue from Operations adjusted for PPP)	3.5139 KJ/USD PPP	
Energy Intensity in terms of physical output		
Energy Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	9.07 GJ /per employee	

*PPP conversion rate is taken as 20.66 which is as per IMF website- April 2025

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide remedial action taken, if any.

No, we do not have any such sites or facilities

3. Details of disclosures related to water:

The organisation's water usage is restricted for human consumption only. Efforts have made to ensure that water is utilized judiciously. For e.g., at our Management Development Centre (MDC), Borivali, a rain water harvesting unit for collecting the rain water is installed. This unit is connected to the nearby bore well due to which the bore-well is recharged and quality of bore well water has improved significantly.

Details of water-usage are as follows:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	19571	Not assessed in 2023-24
(ii) Ground water	680535	
(iii) Third party water	559024	
(iv) Sea Water / Desalinated Water	0	
(v) Others	8311	
Total volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	1267441	
Total volume of water Consumption (in Kilolitres)	1267441	35506901.984
Water Intensity per Rupee of Turnover (Total Water Consumption/Revenue from Operations) (Kilo Litres/INR Crores)	2.59	0.0000041
Water Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Water Consumption/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.0054 L/USD PPP	
Water Intensity in terms of physical output		
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	13.83 kL /per employee	

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

No

4. Provide the following details related to water discharged :

Not Applicable

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(ii) To Ground Water	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
(iii) To Sea Water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(iv) Sent to Third Parties	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(v) Others	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity

Not Applicable

Parameter	Please specify Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
NOx		Not Applicable	
Sox			
Particulate Matter (PM)			
Persistent Organic Pollutants (POP)			
Volatile Organic Compounds (VOC)			
Hazardous Air Pollutants (HAP)			
Others – Please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

7. Details of green house gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Scope 1 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	27,014	13,108
Total Scope 2 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	84,102	67,250
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations) (MT/INR Crores)		0.23	0.09
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations adjusted for PPP)		0.0004696 KG/USD	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output			
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		1.21 mT/Employee	

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

The Corporation is in the process for procurement of a power saving solution for desktops.

As a part of Construction of Green Building projects and ESG initiatives we have installed solar PV panels at 212 locations, totaling 8110 KWp capacity resulting in 21566.50 tons of carbon reduction. For FY 2024-25, there has been 4068.11 tons, reduction in carbon emission as on 31st March 2025.

Purchase of EVs is being encouraged amongst our marketing and administrative staff. Further, as a part of environment conservation, over 18 lakh saplings have been planted across the country in financial year 2024-25.

9. Details related to waste management by the entity:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Waste Generated (in Metric Tonnes)		
Plastic Waste (A)	920	4081
e-Waste (B)	940	116
Bio-Medical Waste (C)		
Construction and Demolition Waste (D)		
Battery Waste (E)		
Radioactive Waste (F)		
Other Hazardous Waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-Hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition, by materials relevant to the sector) – Paper, Scrap Metal, etc	512	
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	2372	4201
Waste Intensity per Rupee of Turnover (Total Waste Generated/Revenue from Operations) (MT/INR Crores)	0.005	0.005
Waste Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Waste Generated/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.0000100 kg/USD PPP	
Waste Intensity in terms of physical output		
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	0.03 mT /per employee	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Land-filling	-	-
(iii) Other disposal Operations	-	-
Total	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

We are committed to adopting sustainable practices in waste management. While our operations primarily involve software development, technology infrastructure, and digital services, we recognize the importance of responsible waste handling.

Soft copies of forms, certificates, etc., are being issued. Pension documents have been scanned for better servicing and for reducing time lag. Paper stationery is being used judiciously by all employees.

The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback agreement. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all the locations. A certificate is taken from the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

Our waste management practices include:

- **Energy-Efficient Infrastructure:** We prioritize the use of energy-efficient infrastructure to minimize resource consumption.
- **Electronic Waste Management:** We have implemented a comprehensive e-waste management program, collaborating with certified disposal partners to ensure proper recycling and disposal of electronic waste.
- **Paperless Initiatives:** We encourage paperless practices and taken up new initiatives to reduce reliance on physical materials in our day-to-day operations.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, bio-diversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details:

Not applicable

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances:

Sr. No.	Specify the law / regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control Boards or by courts	Corrective action taken, if any
Based on the nature of business the Corporation complies with applicable environmental norms.				

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water-stress (in kilo-litres):

NIL

For each facility/plant located in areas of water-stress, provide the following information:

- Name of the area - **Not applicable**
- Nature of operations - **Not applicable**
- Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: **Not applicable**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Not Applicable

2. Details of total Scope 3 emissions & its intensity:

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Scope 3 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	NA	NA
Total Scope 3 emission intensity per rupee of turnover		NA	NA
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on bio-diversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

Not Applicable since none of our offices are located in ecologically sensitive areas

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge/waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:

Use of water efficient fixtures, Rain water Harvesting, energy efficient Electrical fixtures, environment friendly refrigerant in AC units is a continuous process. We have obtained Green building certification for 22 buildings in the FY 2024-25 and for 19 buildings it is in process.

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan?

Yes, the Corporation has Board approved Business Continuity Plan. Business-interruption risk forms an integral part of operational risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which may impact day-to-day operations. The Board approved policy for business continuity (BCP) provides overall guidelines to implement and manage the Business continuity framework. The BCP framework is in place, and provides instructions/guidelines to respond to disaster situation(s) and also includes measures for safety of human life and minimum down time. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events such as natural disasters, pandemic and technical disruptions. **LIC has received ISO 22301 Certification for BCP.** A disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in an emergency scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes as also to manage business-interruption risks.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

There has been no adverse impact on environment as nature of business is life insurance.

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Nil

8. How many Green Credits have been generated or procured:

a. By the listed entity

b. By the top ten (in terms of value of purchase & Sales respectively) Value Chain Partners.

Nil

PRINCIPLE 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Corporation has Affiliations with more than 15 trade and industry chambers/ associations

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Society for Training & Development (ISTD)	National
2	National HRD Network (NHRD)	National
3	Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)	National
4	Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)	National
5	All India Management Association (AIMA)	National
6	Insurance Institute of India (III)	National
7	Confederation of India Industry (CII)	National
8	Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI)	National
9	Management Development Institute Society, Gurgaon	National
10	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

No adverse orders passed by any Regulatory Authority

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

LIC has positioned itself as the insurer of choice and continues to sustain its leadership position after 25 years of liberalization with dominant business mix coming from the participating business sourced primarily through agency force. Further, LIC has capitalized on heightened awareness and is pursuing digital engagement and delivery of services with migration of the customers from physical to the digital i.e., 'phygital' mode. A strategic deploying of bionic agents by extending tech support in the form of digital tools and analytics to the agency force is on its way.

We offer inputs/ views/ suggestions on various Exposure Drafts, proposed amendments to Rules, etc to the Regulator through Life Insurance Council considering the best interest of the Policyholder and the Insurance Industry at large.

We conduct Insurance Awareness Campaigns (IAC) every year pan India. Under IAC we have published advertorials in the magazines highlighting our achievements, our product portfolio and various services tendered to the policyholders. We enhance awareness about our products through Print Advertisements in Newspapers and Magazines at the national and regional level on a pan India basis with TV commercials urging people to purchase insurance with their first salary along with animated video(s), highlighting the need of insurance on national and regional news/music and general entertainment channels across India. Creative(s) are prepared for various operational matters such as, updating KYC and submission of NEFT details, revival of the policies, new plans/products. Awareness is created through the social media, by posting relevant messages, about insurance.

LIC has been nominated by IRDAI as the project lead for the State/UTs of Assam, Orissa, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for raising insurance awareness and increasing insurance penetration. We are also a part of various committees/working groups formed by the Life Insurance Council for vetting of new initiatives.

PRINCIPLE 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

The LIC-Golden Jubilee Foundation (GJF) has not engaged any external agency for conducting impact study. However, the Foundation does an internal Impact study every year to assess the impact of the initiatives taken by the Foundation. Inspection of GJF projects is done by the Zonal Inspection team to assess that the project(s) funded by GJF are utilized for the purpose for which it has been funded and benefits beneficiaries from economically weaker sections.

Through the Golden Jubilee Foundation lot of work is done in the areas of education and health care across the country. We undertake many projects in education like providing scholarships to around 30,835 students from the deprived and under privileged sections of the society. We provide infrastructural support like providing hospital ambulances, dialysis machines, setting up of hospital wards, etc., for the under privileged masses to gain access to improved health care facilities.

2. Information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity:

Nil

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The procedure followed by the Foundation in sanctioning projects and selection of scholars is very transparent. It involves three tier system involving Division, Zone and Central office. It is ensured that the economically weaker sections across the country are benefitted through the activities of the foundation. All details of the charitable activities of the Foundation (pan India) are available at our website www.licindia.in. There are no grievances.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since the Corporation is in Insurance business.

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location	FY 2024-25	FY 2023-24
Rural	0.69%	0.57%
Semi- Urban	31.21%	27.49%
Urban	36.71%	33.76%
Metropolitan	31.38%	38.18%

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

No negative social impact was identified in the Social Impact Assessment

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

The community development activities of the Foundation are spread across the country. Specific to the aspirational districts identified by the Government of India, the foundation has covered **30 districts with 48 projects**. The projects include construction of school building, construction of Skill development centre, multipurpose hall, rooms and toilet block

for tribal girls, construction of pathology units, construction of day care centre, women empowerment projects, vehicle for transportation of school children, ambulances, mobile medical vans for transportation of patients, food distribution vehicle for providing food, etc.

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

No, we do not have a preferential procurement policy. However, we follow the government guidelines regarding procurement of materials and services from suppliers comprising marginalized or vulnerable groups.

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Preference is given to registered vendors under Micro, Small Enterprises (MSE) on production of certificate and to SC/ST vendors registered under MSME. Our procurement practices prioritize equal opportunity for all vendors. Additionally, we adhere to government guidelines regarding preferential procurement from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and local suppliers, thereby supporting local economies and businesses

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

	Current FY 24-25			Previous FY 23-24		
	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%
Procurement from MSE Vendors	1253.94	3029.63	41.38	175.22	265.96	65.88
SC/ST Vendors under MSE	230.28	3029.63	7.60	2.80	-	1.05

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Not Applicable as we are not in the business of inventions, or any artistic works used in commerce, for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive right under IP laws. However our in-house developed applications contribute to the internal growth and competitiveness of our operations and we actively engage in knowledge sharing and collaboration with the broader industry and community.

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved

Not applicable

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

LIC GJF supports projects for the economically weaker sections of the society which are aligned with its objectives – relief or poverty or distress, education, medical relief or any other object of general public utility, across the country. The beneficiaries of projects funded by the LIC Golden Jubilee Foundation are:

Quality Education: The foundation contributes towards infrastructure for education such as construction of skill centre for developing digital skills amongst the people from lower income group, hostels, school building, computer labs, libraries, school bus, providing transportation facility to the disabled children, vocational training centre, occupational therapy tools and audio-visual equipment for specially abled children for their rehabilitation through therapy and vocational training programmes, literacy campaign in LIC GJFs adopted village Govindpur for 100% literacy. An amount of ₹ 80.62 Crores has been spent towards providing scholarships to around 30835 deserving students for pursuing higher education. Scholarship are released every year to deserving students belonging to the economically weaker sections. Bima School is an initiative to raise insurance awareness among school children and parents.

Good Health and well-being: The Foundation has funded projects providing medical equipment, ICU ambulance, medical vans, construction of hospitals, providing treatment for cancer patients, heart surgery, Bone marrow transplant surgery and cochlear implant surgery. Poor patients are also identified through medical camps arranged by the hospitals in far off rural areas and provided necessary treatment.

Covid Relief: The Foundation has given funds for Covid-19 relief measures by contributing towards PM Care fund, Government of Maharashtra Covid relief fund, Tata Memorial hospital Covid relief fund, etc.

Relief towards Natural Calamity: The Foundation has provided assistance during Chennai floods, Kerala floods, Cyclone Fani and construction of multipurpose Cyclone shelter at Udala in Mayurbhanj District for the people residing in the cyclone prone tribal areas of Odisha.

Armed Forces Flag Day Fund: Contribution to Armed Force Flag Day Fund for welfare of Ex- Servicemen of the Indian Defence Force established by Kendriya Sainik Board for welfare of the veterans, widows and rehabilitation of ex-servicemen has been made.

Climate Action: The Foundation has contributed towards installation of solar power plants at school hostel building, old age home and electric crematorium. The use of solar panel has reduced the cost of electricity bill.

Clean Water & Sanitation: Contribution for renovation of water bodies at Hari Thirtham, Kanyakumari and enabling availability of fresh water for communities. Providing water vending machines for clean drinking water to visitors of Badrinath, Kedarnath, Rishikesh and Haridwar.

Contribution towards construction of toilets under 'One Home One Toilet Scheme' in slums of Kolhapur. Funded for construction of 169 toilets in 113 schools across the country, toilet blocks in various school. Contribution towards construction of two community toilets at LIC's adopted village of Govindpur in Sonbhadra district of Uttar Pradesh to make the village free from open defecation. Contribution towards construction of E-Toilets at Badri Dhamand funded for Clean Ganga Fund to rejuvenate river Ganga and its ecosystem.

4,682 medical camps and 5,893 cleaning activities organized in Financial Year 2024-2025 under the 'Swastha Bharat' initiative

Preservation and protection of Art Gallery: The Foundation has funded the construction of a tribal art gallery to preserve, protect, propagate and develop Saura paintings and artists practiced in the three Lanjia Saura villages of Raygada district, Odisha.

Partnering with NGOs like Akshaya Patra foundation for food distribution vehicle to provide food for children and also for kitchen equipment.

Life on Land: Contribution towards purchase of Ambulance for transportation and rescue of wild animals in Kanpur Zoo, installation of solar power plant at Elephant Conservation and Care Centre at Mathura, Uttar Pradesh, installation of solar plant at Life time Animal sanctuary in Village Gopalpur Khera, Gurgaon which is shelter home for animal rescue and rehabilitation.

Sr. No.	CSR Project	No. of persons who benefitted from CSR Projects during FY 2024-25	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	87 Projects were completed under community development activities with 24182 beneficiaries and scholarship disbursed to 3033 scholars belonging to economically weaker sections during the FY 2024-25	27215	100%

PRINCIPLE 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances. The Corporation has a customer friendly online system wherein a policyholder registered on the customer portal of LIC of India can register a complaint and track its status through 'LIC's e-services' available on our website www.licindia.in. The complaints registered under IRDAI's Grievance Management System-Bima Bharosa are synced with LIC's complaint management system. The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of policyholders. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, e-mail, etc to the respective servicing offices / GROs.

A total of 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.00 PM which works as 'one-stop Centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24*7. The number is **022-68276827** with a comprehensive IVRS menu as well as an option to speak with a Call Centre executive for specific queries & information and raise CCS (Call Centre Services) Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English and eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP<POLICYNO> on 9222492224. On receipt of an SMS, an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

With an objective of attending grievances related to repudiated death claims, 'Claims Review Committees' are set up at the Zonal and Central Office levels. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of the Government of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal Mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

Not Applicable

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2024-2025		Remarks	FY 2023-2024		Remarks
	Received during year	Pending Resolution at end of the year		Received during the year	Pending Resolution at end of the year	
Data Privacy	0	0	NA	0	0	NA
Advertising	0	0	NA	0	0	NA
Cyber-Security	0	0	NA	0	0	NA
Delivery of Essential Services	54636	0	NA	0	0	NA
Restrictive Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Unfair Trade Practices*	0	0	NA	2984*	0	NA
Other	19654	0	NA	78531	0	NA

*In FY 2023-24, 2984 complaints were shown under category 'Unfair Trade Practices'. On further analysis and investigation it is found that Nil complaints pertain to Unfair Trade Practices.

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

Nil

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, The Corporation has policies and procedures on Data privacy and cyber security. The complete set of policies is available on the intranet for all employees.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

The Corporation has not received any issue or complaint related to cyber security and data privacy of customers.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a) Number of instances of data breaches

There are no known instances of Data Breach

b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

NIL

c) Impact, if, any, of the data breaches

Not applicable

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information related to all the products and services provided by the Corporation are available in the public domain i.e. our website, www.licindia.in. In addition, the Corporation actively uses print media, social media and digital platforms to disseminate information on its products and services, to educate and to stay connected with our customers.

Product and services related information is available on our website (www.licindia.in). In addition to this, the Corporation actively uses various local avenues, print media, social media and digital platforms to educate and to stay connected with our customers.

- ❖ Mobile App: 'LIC Digital'
- ❖ Facebook: LICIndiaForever
- ❖ YouTube: LICIndiaForever
- ❖ Instagram: LICIndiaForever
- ❖ LinkedIn: LICIndiaForever
- ❖ X (Twitter) handle: LICIndiaForever
- ❖ WhatsApp: 8976862090
- ❖ Call Centre: 022- 6827 6827

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Insurance is an intangible product so the normal usage and safety norms do not apply to it. However for continuance of risk cover, premiums must be paid on time. SMS are sent to the policyholders informing them about premium due for payment, wherever mobile number is registered in policy record. Where no mobile number is registered in policy records, we are sending premium due intimation to the policyholders by post, in order to keep policies in force and to enable the customer to enjoy the insurance benefits under the policy. SMS are sent to customers to be careful with fraudsters. Security measures are in place for customers visiting our links for any online transactions.

Services of LIC on WhatsApp is made available where Policyholders can know their premium dues, get Loan and Loan repayment quotation, Premium paid certificate/s, ULIP Unit statement/s, etc. Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media. We are publishing advertisement in regional, Hindi & English Newspapers informing about the requirements for settlement of claims. We are also informing and educating the customers by displaying our ads on social media such as Facebook, Instagram page, etc. regularly.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Policyholders are kept updated through SMS about the services requested by them. In case of natural calamity advertisement is given in the new papers, assisting customers with information on claim processing to enable faster and hassle free processing of the claim.

We have a Business Continuity Plan in place with Standard Operating Procedures in case of any risk of disruption/discontinuation of service.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole?

Not applicable as we are in Insurance Business (Intangible Products). However, information about insurance products and services is accessible on our website www.licindia.in.

To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities. We also conduct surveys regarding consumer satisfaction relating to our products/ services.

Annexure '1'

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai – 400 021.

To the Board of Directors of Life Insurance Corporation of India

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 16.05.2025 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 17.05.2025 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2025 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in **Annexure 1** to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), and the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct Issued by Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework").

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.



Page 2 of 5

Chokshi & Chokshi LLP is a Limited Liability Partnership with LLP Registration No. AAC-8909
Office: 15/17, Raghavji 'B' Bldg., Ground Floor, Raghavji Road, Gowalia Tank, Off Kemps Corner, Mumbai-400036
Tel.: +91-22-2383 6900 ; Fax : +91-22-2383 6901 ; Web: www.chokshiandchokshi.com
E-mail: contact@chokshiandchokshi.in

CHOKSHI & CHOKSHI LLP**Chartered Accountants**

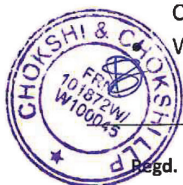
- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, Golden Jubilee Foundation (GJF) team, etc., and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2025.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.
- Obtained representations from the Corporation's Management.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.

We have not performed any procedures with respect to prior periods information.



CHOKSHI & CHOKSHI LLP

Chartered Accountants

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2025 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Restriction on use or distribution

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W/W100045



Dharmista Shah
Partner
M. No. 108845
UDIN: 25108845BMFXSN9867

Place: Mumbai
Date: 03.07.2025

CHOKSHI & CHOKSHI LLP
Chartered Accountants**Annexure-1****BRSR Core attributes - Reasonable assurance for FY 2024-25**

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2024-25
Number of days of accounts payable	Under Principle 1 Question 8 of Essential Indicators
Open-ness of business	Under Principle 1 Question 9 of Essential Indicators
Spending on measures towards well-being of employees	Under Principle 3 Question 1(c) of Essential Indicators
Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Question 11 of Essential Indicators
Gross wages paid to female as % of wages paid	Under Principle 5 Question 3(b) of Essential Indicators
Complaints on POSH	Under Principle 5 Question 7 of Essential Indicators
Energy footprint	Under Principle 6 Question 1 of Essential Indicators
Water footprint	Under Principle 6 Question 3 of Essential Indicators
Water Discharge by destination and levels of Treatment	Under Principle 6 Question 4 of Essential Indicators
Green-house gas (GHG) footprint	Under Principle 6 Question 7 of Essential Indicators
Waste Management	Under Principle 6 Question 9 of Essential Indicators
Input Material sourced	Under Principle 8 Question 4 of Essential Indicators
Job Creation in smaller towns	Under Principle 8 Question 5 of Essential Indicators
Instances involving loss/breach of data of customers	Under Principle 9 Question 7 of Essential Indicators

